THE SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1860

(Act No. 21 of 1860)

[21st May, 1860]

An Act for the Registration of Literary, Scientific and Charitable Societies.

Preamble.—Whereas it is expedient that provision should be made for improving the legal condition of societies established for the promotion of literature, science, or the fine arts, or for the diffusion of useful knowledge or for the diffusion of political education or for charitable purposes.

1. Societies formed by Memorandum of Association and Registration.—Any seven or more persons associated for any literary, scientific or charitable purpose or for any such purpose as is described in Section 20 of this Act may by subscribing their names to a Memorandum of Association, and filing the same with the Registrar of Joint-stock companies, form themselves into a society under this Act.

STATE AMENDMENTS

Bihar.—In its application to the State of Bihar, in Section 1, for the words "Registrar of Joint-stock Companies" substitute the words "Inspector-General of Registration."—Bihar Act 19 of 1956, Section 2 (*w.e.f.* 21.12.1995).

Uttar Pradesh.—In its application to the State of Uttar Pradesh, in Section 1 for the words "Registrar of Joint Stock Companies", substitute the words "Registrar".—*Vide* U.P. Act 25 of 1958, Section 2 (*w.e.f.* 25.8.1958).

2. Memorandum of Association.—The Memorandum of Association shall contain the following things (that is to say) :

the name of the society;

the object of the society;

the names, addresses, and occupations of the governors council directors, committee, or other governing body to whom, by the rules of the society the management of its affairs is entrusted.

A copy of the rules and regulations of the society, certified to be a correct copy by not less than three of the members of the governing body, shall be filed with the Memorandum of Association.

3. Registration and fees.—Upon such memorandum and certified copy being filed, the Registrar shall certify under his hand that the society is registered under this Act. There shall be paid to the Registrar for every such registration a fee of fifty rupees, or such smaller fee as the State Government may from time to time, direct and all fees so paid shll be accounted for the State Government.

STATE AMENDMENTS

Bihar.—In Section 3 of the principal Act, for the word "Registrar" wherever it occurs, the words, "Inspector-General of Registration" shall be substituted.—*Vide* Bihar Act 19 of 1956, Section 3.

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860

(1860 का अधिनियम संख्या 21)

[21 मई, 1860]

साहित्यिक, वैज्ञानिक और पूर्त सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिये अधिनियम।

उद्देशिका—यह समीचीन है कि साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिये या उपयोगी जानकारी के प्रसार के लिये, राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिये अथवा पूर्त प्रयोजनों के लिये स्थापित सोसाइटियों की विधिक परिस्थिति सुधारने के लिये उपबन्ध किया जाये।

1. संगम के ज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण द्वारा सोसाइटियों का बनाया जाना—किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या पूर्त प्रयोजन के लिये या किसी ऐसे प्रयोजन के लिये जो इस अधिनियम की धारा 20 में वर्णित है सहयुक्त कोई सात या अधिक व्यक्ति एक संगम के ज्ञापन में अपने नाम हस्ताक्षरित करके और उसे संयुक्त स्टाक कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास दाखिल करके इस अधिनियम के अधीन अपने आपको सोसाइटी के रूप में गठित कर सकेंगे।

राज्य संशोधन

बिहार—बिहार राज्य के अपने अनुप्रयोग में, धारा 1 में, शब्दों ''संयुक्त स्टॉक कम्पनी के रजिस्ट्रार'' के लिये शब्द रजिस्ट्रीकरण का इंस्पेक्टर जनरल'' प्रतिस्थापित। [अधिनियम 1956 का 19, धारा 2, 21.12.1995 से प्रभावी]

उत्तर प्रदेश—उत्तर प्रदेश राज्य के अपने अनुप्रयोग में, धारा 1 में शब्दों ''संयुक्त स्टॉक कम्पनियों का रजिस्ट्रार'' के लिये शब्द ''रजिस्ट्रार'' प्रतिस्थापित—[देखें, उ० प्र० अधिनियम, 1958 का 25, धारा 2, (25.8.1958 से प्रभावी)]।

2. संगम का ज्ञापन—संगम के ज्ञापन में निम्नलिखित बातें होंगी, अर्थात्—

सोसाइटी का नाम;

सोसाइटी के उद्देश्य;

व्यवस्थापकों, परिषद्, निदेशकों, समिति या अन्य शासी निकाय के, जिनको कि सोसाइटी के नियमों द्वारा उसके कामकाज का प्रबन्ध सौंपा गया है, नाम, पते और उपजीविकायें।

सोसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति, जो शासी निकाय के सदस्यों में से तीन से अन्यून द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित हो, संगम के ज्ञापन के साथ दाखिल की जायेगी।

3. रजिस्ट्रीकरण और शुल्क—ऐसे ज्ञापन और प्रमाणित प्रति के दाखिल किये जाने पर रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा कि उस सोसाइटी की इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री की जाती है। रजिस्ट्रार को ऐसे प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण के लिये पचास रुपये की शुल्क या ऐसी कम शुल्क, जैसी राज्य सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे, सन्दत्त की जायेगी और ऐसे सन्दत्त सब शुल्कों का लेखा राज्य सरकार को दिया जायेगा।

राज्य संशोधन

बिहार—मुख्य अधिनियम की धारा 3 में, शब्द ''रजिस्ट्रार' के लिये, जहाँ कहीं यह विद्यमान हो, शब्द ''महानिरीक्षक निबन्धन'' प्रतिस्थापित किया जायेगा.—देखें, *बिहार अधिनियम, 1956 का 19, धारा 3।*

Scanned with CamScanner

Uttar Pradesh.—In its application to Uttar Pradesh for Section 3 the following section was substituted namely :

"3. (1) "Upon such memorandum and certified copy being filed along with particulars of the address of the Society's office which shall be its registered address, by the Secretary of the Society on behalf of the persons subscribing to the memorandum, the Registrar shall certify under his hand that the Society is registered under this Act.

There shall be paid to the Registrar for every such registration fee of [1][one thousand rupees], [2][or such smaller fee as the State Government may notify in respect of any class of Societies] :

[3][Provided that the State Government, may, by notification in the official Gazette, increase from time to time the fee payable under this sub-section :

Provided further that the Registrar may, in his discretion, issue public notice or issue notices to such persons as he thinks fit inviting objections, if any, against the proposed registration and consider all objections that may be received by him before registering the Society.

(2) Notwithstanding anything in sub-section (1), the Registrar shall refuse to register a Society if, after giving an opportunity of showing cause against such refusal, he is satisfied that :

(a) the name of the Society is identical with that of any of other Society previously registered under this Act;

(b) the name of the Society sought to be registered uses any of the words namely, "Union", "State", "Land Mortgage", "Land Development", "Co-operative", "Gandhi", "Reserve Bank" or any words expressing or implying the sanction, approval or patronage of the Central or any State Government or any word which suggest, or is calculated to suggest, any connection with any local authority or any corporation or body constituted by or under any law for the time being in force or is such as is otherwise likely to deceive the public or the members of any other Society previously registered under this Act;

(c) any one or more of the objects of the Society sought to be registered is not an object mentioned in Sections 1 and 20; or

(d) its objects are contrary to any other law for the time being in force.

Explanation.—(i) In this Act, the word 'Registrar' means a person appointed as such by the State Government, and includes an Additional Registrar, Joint Registrar, or Assistant Registrar, on whom all or any of the powers of Registrar under this Act are conferred by general or special order of the State Government.—*Vide* U.P. Act 52 of 1975, Section 2 (*w.e.f.* 10.10.1975).

(ii) In sub-section (2), after clause (d), for the Explanation, the following proviso shall be substituted, and be deemed always to have been substituted :

1. *Subs. for* the words "five hundred rupees" by U.P. Act 8 of 2000, Section 2 (a) (*w.e.f.*. 25.11.1999).
2. *Ins.* by the Societies Registration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1978, Section 3 (*w.e.f.* 27.2.1978).
3. *Subs.* by the U.P. Act 8 of 2000, Section 2 (*w.e.f.*.25.11.1999).

उत्तर प्रदेश—उत्तर प्रदेश को अपने अनुप्रयोग में, धारा 3 के लिये निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्—

"3 (1). ऐसे ज्ञापन एवं प्रमाणित प्रतिलिपि के सोसाइटी के कार्यालय के पता की विशिष्टियों, जो इसका पंजीकृत पता होगा, के साथ दाखिल किये जाने पर, सोसाइटी के सचिव के द्वारा ज्ञापन को हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्तियों की ओर से, रजिस्ट्रार अपने हाथ से यह प्रमाणित करेगा कि सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत है।

[1][एक हजार रुपये] [2][या ऐसी कम शुल्क जिसे राज्य सरकार किसी वर्ग की सोसाइटियों के सम्बन्ध में अधिसूचित करे] रजिस्ट्रार को संदत्त किये जायेंगे :

[3][परन्तु यह कि राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर इस उपधारा के अधीन सन्देय शुल्क को बढ़ा सकती है :]

परन्तु पुन: यह कि रजिस्ट्रार अपने विवेक से, ऐसे व्यक्तियों को, जैसे वह प्रस्तावित रजिस्ट्रीकरण के विरुद्ध आक्षेप, यदि कोई हो, को आमंत्रित करने के लिये उपयुक्त समझे, लोक सूचना जारी कर सकता है या सूचनायें जारी कर सकता है और सभी आक्षेपों, जो उसके द्वारा सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण से पहले प्राप्त किये जायें, पर विचार कर सकता है।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, रजिस्ट्रार एक सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करेगा, यदि ऐसे इन्कार के विरुद्ध कारण दिखाने का अवसर देने के पश्चात्, उसका समाधान हो जाता है कि—

(क) सोसाइटी का नाम इस अधिनियम के अधीन पहले पंजीकृत की गयी किसी अन्य सोसाइटी के समान है;

(ख) रजिस्ट्रीकरण करने के लिये ईप्सित सोसाइटी का नाम "संघ", "राज्य", "भूमि बन्धक", "भूमि विकास", "सहकारी", "गांधी", "रिजर्व बैंक" में से किसी शब्द या केन्द्र या किसी राज्य सरकार की मन्जूरी, अनुमोदन या प्रश्रय अभिव्यक्त या प्रकट करने वाला कोई शब्द या कोई शब्द जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या व्यक्ति से किसी सम्बन्ध का सुझाव देता हो या सुझाव देने के लिये परिकल्पित हो या ऐसा हो, जो अन्यथा लोक या इस अधिनियम के अधीन पहले पंजीकृत की गयी किसी अन्य सोसाइटी के सदस्यों को धोखा देने के लिये सम्भाव्य हो;

(ग) रजिस्ट्रीकरण किये जाने के लिये ईप्सित सोसाइटी के कोई एक या अधिक उद्देश्य धारा 1 एवं 20 में उल्लिखित उद्देश्य नहीं है; या;

(घ) इसके उद्देश्य तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रतिकूल है।

स्पष्टीकरण—(i) इस अधिनियम में, शब्द "रजिस्ट्रार" से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसमें अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार, जिन पर इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा रजिस्ट्रार की सभी या कोई शक्ति प्रदत्त की गयी है.—देखें : उ० प्र० अधिनियम, 1975 का 52, धारा 2 (10.10.1975 से प्रभावी)।

(ii) उपधारा (2) में खण्ड (घ) के पश्चात् स्पष्टीकरण के लिये, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायेगा, और सदैव प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा :

1. शब्दों "पाँच सौ रुपये" के लिये उ० प्र० अधिनियम, 2000 की 8, धारा 2 (क) (25.11.1999 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित
2. सोसाइटी रजिट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978, धारा 3 (27.2.1978 से प्रभावी) द्वारा अन्त:स्थापित
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 2000 की धारा 2 (25.11.1999 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित।

Scanned with CamScanner

Provided that the State Government, may, in exceptional circumstances, for reasons to be recorded, permit any Society to use the word 'Union' or the word "Gandhi" in its name, and thereupon the use of that word is the name of the Society shall not be a ground for refusal to register or to renew the certificate of registration of such Society.—*Vide* U.P. Act 26 of 1979, Section 2 (*w.e.f.* 16.7.1979).

SECTION 3-A

Uttar Pradesh.—In its application to the State of Uttar Pradesh after Section 3, insert the following section, namely :—

"3-A. *Renewal of certificate of registration.*—(1) Subject to the provision of sub-section (2), a certificate of registration issued under Section 3 shall remain in force for a period of two years from the date of issue :

Provided that a certificate is used before the commencement of the Societies Registration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1984 (hereinafter in this section referred to as the said Act), shall remain in force for a period of five years from the date of such commencement on payment of the difference of the fees specified under sub-section (3) and the fees already paid.

(2) A Society registered under Section 3 whether before or after the commencement of the said Act, shall on application made to the Registrar within one month of the expiration of the period referred to, in sub-section (1) and on payment of the fee specified in sub-section (3) be entitled to have its certificate of registration renewed for [1][five years].

Provided that in the case of a society registered before the commencement of the Act, the Registrar shall refuse to renew the certificate of registration if after giving it, an opportunity of showing cause against such refusal, he is satisfied that any of the grounds mentioned in sub-section (2) of Section 3 exist in respect thereof.

(3) There shall be paid to the Registrar with every application for renewal of the certificate of registration :—

"(a) a fee equal to the registration fee payable under Section 3 or rupees two hundred, whichever is less, if such application is filed within the period specified in sub-section (2) :

Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, increase from time to time the fee payable under this clause subject to the condition that the fee so increased shall not exceed the registration fee payable under Section 3;

(b) an additional fee of forty rupees or such higher fee not exceeding one-fifth of the fee payable under clause (a) as may be notified by the State Government, if such application is filed within one month of the date of expiration of the period specified is sub-section (2); and

(c) an additional fee at the rate of twenty rupees per month or part thereof, or such higher additional fee per month not exceeding half of the additional fee payable under clause (b) as may be notified by the State Government, if such application is filed beyond one month of the expiration of the period specified is sub-section (2)."

1. Subs. by (U.P. Act 11 of 1984. Section 3 (w.e.f. 30.4.1984).

परन्तु यह कि राज्य सरकार, अपवादजनक परिस्थितियों में, अभिलिखित किये गये कारणों से, किसी सोसाइटी को अपने नाम से शब्द "संघ" या शब्द "गांधी" का प्रयोग करने की अनुमति दे सकती है और उस पर उस शब्द का प्रयोग सोसाइटी का नाम है, ऐसी सोसाइटी को पंजीकृत किये जाने या रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को नवीकृत किये जाने से इन्कार करने का आधार नहीं होगा.—देखें : उ० प्र० अधिनियम, 1979 का 26, धारा 2 (16.7.1979 से प्रभावी)।

धारा 3-क

उत्तर प्रदेश—उत्तर प्रदेश राज्य को अपने अनुप्रयोग में, धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तः स्थापित कीजिये, अर्थात्—

"*3क. रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का नवीकरण*—उपधारा (2) के प्रावधान के अधीन, धारा 3 के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये प्रवृत्त रहेगा :

परन्तु यह कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1984 (इसमें इसके पश्चात् इस धारा में कथित अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) के प्रारम्भ के पहले प्रयोग किया गया प्रमाण-पत्र, उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट शुल्क एवं पहले संदत्त किये गये शुल्क के अन्तर का सन्दाय किये जाने पर, ऐसे प्रारम्भ की दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के लिये प्रवृत्त रहेगा।

(2) धारा 3 के अधीन पंजीकृत की गयी सोसाइटी, चाहे कथित अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात्, उपधारा (1) में निर्दिष्ट की गयी अवधि की समाप्ति के एक मास के भीतर रजिस्ट्रार को किये गये आवेदन पर एवं उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शुल्क के सन्दाय पर [1][पाँच वर्ष] के समय के लिये अपने रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्तु यह कि अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले पंजीकृत सोसाइटी के मामले में, रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को नवीकृत करने से इन्कार करेगा यदि ऐसे इन्कार के विरुद्ध इसे कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् वह सन्तुष्ट है कि उसके सम्बन्ध में धारा 3 की उपधारा (2) में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है।

(3) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन के साथ रजिस्ट्रार को—

(क) धारा 3 के अधीन सन्देय शुल्क के बराबर शुल्क या दो सौ रुपये जो भी कम हो, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दाखिल किया जाता है :

परन्तु यह कि राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस खण्ड के अधीन सन्देय शुल्क को समय-समय पर इस शर्त के अधीन कि ऐसा बढ़ाया गया शुल्क धारा 3 के अधीन सन्देय रजिस्ट्रीकरण शुल्क से अधिक नहीं होगा, बढ़ा सकती है;

(ख) चालीस रुपये का अतिरिक्त शुल्क या खण्ड (क) के अधीन सन्देय शुल्क के 1/5 से अनधिक ऐसा उच्च शुल्क, जैसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की दिनांक से एक माह के भीतर दाखिल किया जाता है, एवं

(ग) बीस रुपये प्रति माह की दर से अतिरिक्त शुल्क या उसका भाग या खण्ड (ख) के अधीन सन्देय अतिरिक्त शुल्क के आधे से अनधिक प्रतिमाह ऐसा अतिरिक्त शुल्क, जैसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के एक माह के परे दाखिल किया जाता है।"

1. उ० प्र० अधिनियम, 1984 का 11, धारा 3 (30.4.1984 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित]

Scanned with CamScanner

(4) Every application for renewal of the certificate shall be accompanied by a list of members of the managing body elected after the registration of the society or after the renewal of certificate of registration and also the certificate sought to be renewed unless dispensed with by the registrar on the ground of its loss or destruction or other sufficient cause.

(5) A society which fails to get its certificate of registration renewed in accordance with this section within one year from the expiration of the period for which the certificate was operative shall become an unregistered society :

Provided that the Registrar may, for sufficient cause allow an application for renewal more than one year after the expiration of the period for which the certificate was operative on payment of a fee of "four hundred rupees" or such higher fee not exceeding ten times of the additional fee payable under clause *(b)* of sub-section (3) as may be notified by the State Government from time to time.

(6) Where a certificate of registration is renewed in accordance with sub-section (2) or sub-section (5) such renewal shall operate from the date of expiration of the period for which the certificate was operative."—*Vide* U.P. Act 52 of 1975. Section 3 (*w.e.f.* 10.10.1975), U.P. Act 13 of 1978, U.P. Act 11 of 1984, U.P. Act 13 of 1994 and U.P. Act 8 of 2000.

SECTION 3-B

Uttar Pradesh.—In its application to the State of Uttar Pradesh after Section 3-A, insert the following (Section 3-B), namely :

"3-B. *Reference to the State Government.*—If any question arises whether any society is entitled to get itself registered in accordance with Section 3 or to get its certificate of registration renewed in accordance with Section 3-A, the matter shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government thereon shall be final."—*Vide* U.P. Act 26 of 1979, Section 3 (*w.e.f.* 16.7.1979).

4. Annual list of managing body to be filed.—Once in every year, on or before the fourteenth day succeeding the day on which according to the rules of the societies, the annual general meeting, of the society is held, if the rules do not provide for an annual general meeting in the month of January, a list shall be filed with the Registrar of Joint-Stock Companies of the names, addresses and occupation of the Government council, directors, committee or other governing body then entrusted with the management of the affairs of the society.

STATE AMENDMENTS

Bihar.—In its applica on to the State of Bihar, in Section 4 for the words "Registrar of Joint-Stock Companies" substitute the words, "Inspector-General of Registration."—*Vide* Bihar Act 19 of 1956, Section 3 (w.e.f. 21.12.1955).

Uttar Pradesh.—(i) In its application to the State of Uttar Pradesh in Section 4 for the words "Registrar of Joint-Stock Companies" substitute the word "Registrar".—*Vide* U.P. Act 25 of 1958 Section 2 (*w.e.f.* 25.8.1958).

(ii) In its application to the State of Uttar Pradesh renumber Section 4 as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) as renumbered insert the following sub-section namely :—

(4) प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् या रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के पश्चात् निर्वाचित प्रबन्धन निकाय के सदस्यों की सूची के साथ एवं नवीकरण के लिए ईप्सित प्रमाण-पत्र के साथ भी होगा जब तक रजिस्ट्रार द्वारा इसके खो जाने या नष्ट हो जाने या अन्य पर्याप्त कारण के आधार पर अभिमुक्ति न दे दी गयी हो।

(5) एक सोसाइटी जो उस अवधि, जिसके लिये प्रमाण-पत्र प्रवर्तनीय था, की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर इस धारा के अनुसार अपना नवीकृत रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में असफल रहती है, एक अपंजीकृत सोसाइटी हो जायेगी :

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार पर्याप्त कारणों से, उस अवधि, जिसके लिये प्रमाण-पत्र प्रवर्तनीय था, की समाप्ति के पश्चात् एक वर्ष से अधिक के नवीकरण के लिये आवेदन को "चार सौ रुपये" या उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन सन्देय अतिरिक्त शुल्क के दस गुने से अनधिक ऐसा उच्च शुल्क, जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विहित किया जाय, का सन्दाय करने पर अनुज्ञात कर सकता है।

(6) जहाँ उपधारा (2) या उपधारा (5) के अनुसार रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र नवीकृत किया जाता है ऐसा नवीकरण उस अवधि जिसके लिये प्रमाण-पत्र प्रवर्तनीय था, की समाप्ति की दिनांक से प्रवर्तनीय होगा.—देखें : उ० प्र० अधिनियम, 1975 का 52, धारा 3 (10.10.1975 से प्रभावी), उ० प्र० अधिनियम, 1978 का 13, उ० प्र० अधिनियम, 1984 का 11, उ० प्र० अधिनियम, 1994 का 13 एवं उ० प्र० अधिनियम, 2000 का 8।

धारा 3-ख

उत्तर प्रदेश—उत्तर प्रदेश राज्य को अपने अनुप्रयोग में धारा 3-क के पश्चात् निम्नलिखित (धारा 3-ख) अन्तःस्थापित, अर्थात्

"3-ख. *राज्य सरकार को निर्देश*—यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई सोसाइटी धारा 3 के अनुसार स्वयं को पंजीकृत कराने या धारा 3-क के अनुसार अपना नवीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की हकदार है, मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा एवं उस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा.—देखें उ० प्र० अधिनियम 1979 का 26, धारा 3 (16.7.1979 से प्रभावी)।

4. प्रबन्ध निकाय की वार्षिक सूची दाखिल किया जाना—प्रत्येक वर्ष में एक बार, उस दिन के, जिसको कि सोसाइटी के नियमों के अनुसार सोसाइटी का वार्षिक साधारण अधिवेशन किया जाता है, उत्तरवर्ती चौदहवें दिन को या उससे पूर्व, या यदि नियमों में वार्षिक साधारण अधिवेशन के लिये उपबन्ध नहीं है तो जनवरी के मास में, संयुक्त स्टाक कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास एक सूची दाखिल की जायेगी जिसमें व्यवस्थापकों, परिषद्, निदेशकों, समिति या अन्य शासी निकाय के, जिनको सोसाइटी के कामकाज का प्रबन्ध तत्समय सौंपा हुआ हो, नाम, पते और उपजीविकायें होंगी।

राज्य संशोधन

बिहार—बिहार राज्य को अपने अनुप्रयोग में, धारा 4 में शब्दों, "संयुक्त स्टॉक कम्पनियों का रजिस्ट्रार' के लिये शब्द "महानिरीक्षक निबन्धन" प्रतिस्थापित—देखें, बिहार अधिनियम, 1956 का 19, धारा 3 (21.12.1955 से प्रभावी)।

उत्तर प्रदेश—(i) उत्तर प्रदेश राज्य के अपने अनुप्रयोग में धारा 4 में शब्दों "संयुक्त स्टॉक कम्पनियों के रजिस्ट्रार' के लिये शब्द "रजिस्ट्रार' प्रतिस्थापित—देखें : उ० प्र० अधिनियम, 1958 का 25, धारा 2 (25.8.1958 से प्रभावी)।

(ii) उत्तर प्रदेश राज्य को अपने अनुप्रयोग में धारा 4 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित एवं ऐसे पुनःसंख्यांकित की गयी उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित, अर्थात् :

Scanned with CamScanner

"(2) Together with list mentioned in sub-section (1) there shall be sent to the Registrar a copy of the Memorandum of Association including any alteration, extension or abridgment of purposes made under Section 12, and of the rules of the society corrected up to date and certified by not less than three of the members of the said governing body to be a correct copy and also a copy of the balance-sheet for the preceding year of account."—*Vide* U.P. Act 25 of 1975, Section 4 (*w.e.f.* 10.10.1975).

(iii) In sub-section (1) insert the following proviso :

Provided that if the managing body is elected after the last submission of the list the counter-signature of the old members, shall as far as possible be obtained on the list. If the old office-bearers do notice to such persons as he thinks fit inviting objections within a specified period and shall decide all objections received within the said period.—*Vide* U.P. Act 11 of 1984, Section 4 (*w.e.f.* 30.4.1984).

SECTION 4-A

Bihar.—In its application to the State of Bihar, Section 4-A, inserted after Section 4 is the same as that of Assam, subject to the following modifications namely :—

(a) for the words "Registrar of Societies", wherever they occur, substitute, the words "Inspector-General of Registraion";

(b) for the words "showing changes" substitute the words "showing all changes";

(c) in sub-section (2) for the words "than three members" substitute the words "than three of the members" and for "alteration" occurring at the end substitute the words "making of such alteration."—*Vide* Bihar Act 4 of 1951, Section 2 (*w.e.f.* 7.3.1951) 19 of 1956, Section 5 (*w.e.f.* 21.12.1955).

SECTION 4-A AND 4-B

Uttar Pradesh.—In its application to the State of Uttar Pradesh after Section 4, insert the following section namely:—

"*4-A. Changes etc. in rules to be intimated to Registrar.*—A copy of every change made in rules of the society and intimation of every change of address of the society, certified by not less than three of the members of the governing body shall be sent to the Registrar within thirty days of the change."—*Vide* U.P. Act 52 of 1975, Section 5 (*w.e.f.* 10.10.1975).

[1][4-B (1) At the time of registration/renewal of a society, list of members of General Body of that society shall be filed with the Registrar mentioning the name, father's name, address and occupation of the members. The Registrar shall examine the correctness of the list of members of the General Body of such society on the basis of the register of members of the General Body and minutes book thereof, cash book, receipt book of membership fee and bank pass book of the society.

(2) If there is any change in the list of members of the General Body of the society referred to in sub-section (1), on account of induction, removal,

Ins. by U.P. Act No. 23 of 2013 (w.e.f. 9-10-2013).

"(2) उपधारा (1) में उल्लिखित की गयी सूची के साथ संगम ज्ञापन की प्रतिलिपि, जिसमें धारा 12 के अधीन निर्मित किये गये प्रयोजनों का कोई परिवर्तन, विस्तार या संक्षेपण शामिल है और अद्यतन सुधारे गये सोसाइटी के नियम तथा शासी निकाय के सदस्यों, जो तीन से कम न हों, के द्वारा सत्य प्रतिलिपि होने के लिये प्रमाणित और पूर्ववर्ती वर्ष के खाते के लिये तुलन-पत्र (Balance-sheet) की प्रतिलिपि भी हो, के साथ रजिस्ट्रार के पास भेजी जायेगी''.—*देखें :* उ० प्र० अधिनियम, 1975 का 25, धारा 4 (10.10.1975 से प्रभावी)।

(iii) उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित :

''परन्तु यह कि यदि प्रबन्धक निकाय सूची के अन्तिम प्रतिवेदन के पश्चात् निर्वाचित किया जाता है, पुराने सदस्यों के प्रति हस्ताक्षर, जहाँ तक सम्भव हो, सूची पर प्राप्त किये जायेंगे। यदि पुराने पद धारक ऐसे व्यक्तियों को सूचना देते हैं, जैसे वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आक्षेपों को आमंत्रित करने के लिये आवश्यक समझे एवं कथित अवधि के भीतर प्राप्त किये गये सभी आक्षेपों को निर्णीत करेगा''—*देखें :* उ० प्र० अधिनियम, 1984 का 11, धारा 4 (30.4.1984 से प्रभावी)।

धारा 4-क

बिहार—बिहार राज्य को अपने अनुप्रयोग में, धारा 4 के पश्चात् धारा 4-क, उसी तरह जैसे असम को निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन अन्त:स्थापित की जाती है, अर्थात्—

(क) शब्दों ''सोसाइटियों के रजिस्ट्रार'' जहाँ कहीं वे आयें, के लिये शब्द ''महानिरीक्षक निबन्धन'' प्रतिस्थापित,

(ख) शब्दों ''परिवर्तनों को दिखाते हुये'' के लिये शब्द ''सभी परिवर्तनों को दिखाते हुये'' प्रतिस्थापित,

(ग) उपधारा (2) में शब्दों ''तीन सदस्यों'' के लिये शब्द ''सदस्यों के तीन'' प्रतिस्थापित एवं शब्द ''परिवर्तन'' अन्त में स्थित, के लिये शब्द'' प्रतिस्थापित''—देखें : बिहार अधिनियम, 1951 का 4, धारा 2 (7.3.1951 से प्रभावी) एवं 1956 का 19, धारा 5 (21.12.1955 से प्रभावी)।

धारा 4-क एवं 4-ख

उत्तर प्रदेश—उत्तर प्रदेश राज्य को अपने अनुप्रयोग में, धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त-स्थापित, अर्थात्—

''*4-क. नियमों में परिवर्तन आदि रजिस्ट्रार को सूचित किया जाना*—सोसाइटी के नियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि एवं सोसाइटी के पते में प्रत्येक परिवर्तन की सूचना, शासी निकाय के सदस्यों, जो तीन से कम न हों, के द्वारा प्रमाणित, परिवर्तन के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजे जायेंगे.—*देखें :* उ० प्र० अधिनियम, 1975 का 52, धारा 5 (10.10.1975 से प्रभावी)।

[1][4-ख. (1) किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण नवीनीकरण के समय उस सोसाइटी के साधारण सभा के सदस्यों की सूची सदस्यों के नाम, पिता का नाम, पता और व्यवसाय उल्लिखित करते हुए रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जायेगी। रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के साधारण सभा के सदस्यों की सूची की शुद्धता का परीक्षण सोसाइटी के साधारण सभा के सदस्यों की सूची की शुद्धता का परीक्षण सोसाइटी की साधारण सभा की सदस्यता पंजिका और उसकी कार्यवृत्त पंजिका, कैशबुक, सदस्यता शुल्क की रसीद बुक और सोसाइटी की बैंक पास बुक के आधार पर करेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट सोसाइटी के साधारण सभा के सदस्यों की सूची में किसी सदस्य के आगमन, हटाए जाने, त्याग-पत्र अथवा मृत्यु के कारणों से किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो ऐसे

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 23 सन् 2013 द्वारा बढ़ाया गया (9-10-2013 से प्रभावी)।

Scanned with CamScanner

resignation or death of any member, a modified list of members of General Body, shall be filed with the Registrar, within one month from the date of change.

(3) The list of members of the General Body to be filed with the Registrar under this section shall be signed by two office bearers and two executive members of the society.]

5. Property of Society—How vested.—The property, movable and immovable, belonging to a Society registered under this Act, if not vested in trustees, shall be deemed to be vested for the time being in the governing body of such Society, and in all proceedings, civil and criminal, may be described as the property of the governing body of such Society by their proper title.

STATE AMENDMENTS

Bihar.—In its application to the State of Bihar, in Section 5 for the words "Civil and Criminal" the words "Civil, Criminal and Revenue" shall be and shall be deemed always to have been substituted.—*Vide* Bihar Act 2 of 1960, Section 2 (*w.e.f.* 8.2.1960).

SECTIONS 5-A

Uttar Pradesh.—In its application to the Sate of Uttar Pradesh, after Section 5, insert Section 5-A as follows :—

[1]5-A. *Restriction on transfer of property.*—(1) Notwithstanding anything contained in any law, contract or other instrument to the contrary, it shall not be lawful for the governing body of a society registered under this Act or any of its members of transfer without the previous approval of the Court, any immovable property belonging to such society.

(2) Every transfer made in contravention of sub-section (1) shall be void.

Explanation I.—The word 'court' shall have the meaning assigned to it in Section 13.

Explanation II.—The expression 'transfer' shall for the purposes of this section mean :—

(a) a mortgage, charge, sale, gift, or exchange;
(b) lease for a term exceeding five years; or
(c) "irrevocable licence.".—*Vide* U.P. Act 26 of 1979, Section 2 (*w.e.f* 16.7.1979).

6. Suits by and against Societies.—Every Society registered under this Act may sue or be sued in the name of the President, Chairman, or Principal Secretary, or trustees, as shall be determined by the rules and regulations of the Society, and, in default of such determination, in the name of such person as shall be appointed but the governing body of the occasion :

Provided that it shall be competent for any person having a claim or demand against the Society to sue the President or Chairman, or Principal Secretary or the trustees thereof, if no application to the governing body some other officer or person be not nominated to be the defendant.

1. Now, repealed by U.P. Act 13 of 2009, Section 2 (*w.e.f.* 11.12.2008).

परिवर्तन के दिनांक से एक माह के भीतर साधारण सभा के सदस्यों की एक उपातरित सूची रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जायेगी।

(3) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जाने वाली साधारण सभा के सदस्यों की सूची सोसाइटी के दो पदाधिकारियों और दो कार्यपालक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।]

5. सोसाइटी की सम्पत्ति कैसे निहित होगी?—इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की स्थावर और जंगम सम्पत्ति यदि न्यासियों में निहित नहीं है तो ऐसी सोसाइटी के शासी निकाय में तत्समय निहित समझी जायेगी और सभी सिविल और दाण्डिक कार्यवाहियों में ऐसी सोसाइटी के शासी निकाय की, उसके उचित अभिधान से सम्पत्ति के रूप में वर्णित की जा सकेगी।

राज्य संशोधन

बिहार—बिहार राज्य को अपने अनुप्रयोग में धारा 5 में शब्द "सिविल एवं दाण्डिक" के लिये शब्द "सिविल, दाण्डिक एवं राजस्व" प्रतिस्थापित किया जायेगा एवं सदैव प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा.—*देखें :* बिहार अधिनियम, 1960 का 2, धारा 2 (8.2.1960 से प्रभावी)।

धारा 5-क

उत्तर प्रदेश—उत्तर प्रदेश राज्य को अपने अनुप्रयोग में धारा 5 के पश्चात्, धारा 5 के निम्न प्रकार से अन्तःस्थापित कीजिये :

[1][*5-क. अन्तरण या सम्पत्ति पर निर्बन्धन*—(1) संविदा या अन्य लिखत के प्रतिकूल किसी विधि में निहित किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत सोसाइटी के शासी नियम या ऐसी सोसाइटी से सम्बन्धित किसी स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण के किसी इसके सदस्य के लिये, यह विधिपूर्ण नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) के उल्लंघन में किया गया प्रत्येक अन्तरण शून्य होगा।

स्पष्टीकरण 1—शब्द "न्यायालय" का वही अर्थ होगा जो इसे धारा 13 में समनुदिष्ट किया गया हो।

स्पष्टीकरण 2—पद "अन्तरण" का इस धारा के प्रयोजनों के लिये अर्थ—

(अ) एक बन्धक, भार, विक्रय, दान या विनिमय;
(ब) पाँच वर्ष से अधिक का पट्टा; या
(स) "अप्रतिसंहरणीय अनुज्ञप्ति" होगा.—*देखें :* उ० प्र० अधिनियम, 1979 का 26, धारा 2 (16.7.1979 से प्रभावी)।

6. सोसाइटियों द्वारा या उनके खिलाफ वाद—इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हर एक सोसाइटी प्रधान, अध्यक्ष या प्रधान सचिव अथवा न्यासियों के नाम में, जैसा कि सोसाइटी के नियमों और विनियमों द्वारा अवधारित किया जाये, और ऐसे अवधारण के अभाव में ऐसे व्यक्ति के नाम में, जो उस अवसर के लिये शासी निकाय द्वारा नियुक्त किया जाये वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा :

परन्तु ऐसे व्यक्ति के लिये, जिसका सोसाइटी के खिलाफ कोई दावा या मांग हो यह सक्षम होगा कि वह उसके प्रधान या अध्यक्ष या प्रधान सचिव या न्यासियों पर वाद ला सके यदि शासी निकाय को आवेदन करने पर किसी अन्य अधिकारी या व्यक्ति को प्रतिवादी होने के लिये नामनिर्देशित नहीं किया जाता।

1. उ०प्र० अधिनियम, 2009 का 13 धारा 2 द्वारा निरसित 11-12-2008।

Scanned with CamScanner

7. Suits not to abate.—No suit or proceeding in any Civil Court shall abate or discontinue by reason of the person, by or against whom such suit or proceedings shall have been brought or continued, dying or ceasing to fill the character in the name whereof he shall have sued or been sued but the same suit or proceeding shall be continued in the name of or against the successor of such person.

8. Enforcement of Judgment against Society.—If a judgment shall be recovered against the person or officer named on behalf of the Society, such judgment shall not be put in force against the property, movable or immovable, or against the property of the Society.

The application for execution shall set forth the judgment, the fact of the party against whom it shall have been recovered having sued or having been sued, as the case may be, on behalf of the Society only, and shall require to have the judgment enforced against the property of the Society.

STATE AMENDMENT

Bihar.—In its application to the State of Bihar in Section 8 after the word "judgment" wherever it occurs, the words "or decree', shall be inserted.—*Vide* Bihar Act 2 of 1960, Section 3 (*w.e.f.* 8.2.1960).

9. Recovery of penalty accruing under bye-law.—Whenever by any bye-law duly made in accordance with the Rules and Regulations of the Society, or, if the rules do not provide for the making of bye-laws, by any bye-law made at a general meeting of the members of the Society convened for the purpose (for the making of which the concurrent votes of three-fifths of the members present at such meeting shall be necessary) any pecuniary penalty is imposed for the breach of any rule of bye-law of the Society such penalty, when accrued, may be recovered in any court having jurisdiction where the defendant shall reside, or the society shall be situate, as the governing body thereof shall deem expedient.

10. Members liable to be sued as strangers.—Any member who may be in arrears of a subscription which according to the rules of the society he is bound to pay, or who shall possess himself of or detain any property of the Society in a manner or for a time contrary to such rules, or shall injure or destroy any property of the Society, may be sued for such arrears or for the damage accruing from such detention, injury, or destruction of property in the manner herein before provided.

Recovery by successful defendant of costs adjudged.—But if the defendant shall be successful in any suit or other proceeding brought against him at the instance of the Society and shall be adjudged to recover his costs, he may elect to proceed to recover the same from the officer in whose name the suit shall be brought or from the Society, and in the latter case shall have process against the property of the said Society in the manner above described.

7. वादों का उपशमन न होना—किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद या कार्यवाही का इस कारण उपशमन नहीं होगा या वह बन्द नहीं होगी कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके खिलाफ ऐसा वाद या कार्यवाही लाई गई या जारी रखी गई थी, मर गया है, या उस हैसियत में स्थित नहीं रह गया है, जिसके नाम से वह वाद लाया था जिस उस पर वाद लाया गया था, किन्तु वही वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारी के नाम में या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेगी।

8. सोसाइटी के खिलाफ निर्णय का प्रवर्तन—यदि सोसाइटी की ओर से नामित किसी व्यक्ति या अधिकारी के खिलाफ कोई निर्णय प्राप्त किया जाता है तो ऐसा निर्णय ऐसे व्यक्ति या अधिकारी की स्थावर या जंगम सम्पत्ति के खिलाफ या वैयक्तिक रूप से उसके खिलाफ प्रवृत्त नहीं किया जायेगा किन्तु सोसाइटी की सम्पत्ति के खिलाफ प्रवृत्त किया जायेगा।

निष्पादन के लिये आवेदन में, निर्णय और उस पक्षकार के, जिसके विरुद्ध उसे प्राप्त किया गया हो, केवल सोसाइटी की ओर से, यथास्थिति, वाद लाने या उसके विरुद्ध वाद लाये जाने की बात उपवर्णित होगी और यह अपेक्षा की जायेगी कि निर्णय को सोसाइटी की सम्पत्ति के खिलाफ प्रवर्तित कराया जाये।

राज्य संशोधन

बिहार—बिहार राज्य को अपने अनुप्रयोग में, धारा 8 में शब्द ''निर्णय'' जहाँ कहीं यह आता है, के पश्चात् शब्द ''या डिक्री'' अन्तःस्थापित किया जायेगा।—देखें, बिहार अधिनियम, 1960 का 2, धारा 3 (8.2.1960 से प्रभावी)।

9. उप-विधि के अधीन प्रोद्भूत होने वाली शास्ति की वसूली—जब कभी कोई उपविधि सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार सम्यक्तः बनाई गई हो या यदि नियम उप-विधियाँ बनाने के लिये उपबन्ध नहीं करती हैं तो किसी ऐसी उपविधि द्वारा जो उस प्रयोजन के लिये बुलाये गये सोसाइटी के सदस्यों के साधारण अधिवेशन में बनाई गई हो (जिसे बनाने के लिये ऐसे अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के तीन बटा पाँच के सहमति सूचक मत आवश्यक होंगे), सोसाइटी के किसी नियम या उपविधि के भंग के लिये कोई धन सम्बन्धी शास्ति अधिरोपित की जाती है तो ऐसी शास्ति जब प्रोद्भूत हो जाये, किसी ऐसे न्यायालय में वसूल की जा सकेगी जिसकी अधिकारिता वहाँ हो जहाँ प्रतिवादी निवास करता है, या जहाँ सोसाइटी स्थित है, जैसा भी उसका शासी निकाय समीचीन समझे।

10. सदस्यों का अपने खिलाफ अन्य पक्षकारों के रूप में वाद लाये जाने के दायित्वाधीन होना—ऐसे सदस्य के खिलाफ जिसकी तरफ कोई चन्दा बकाया हो, जिसे वह सोसाइटी के नियमों के अनुसार सन्दत्त करने के लिये आबद्ध है, या जो सोसाइटी की किसी सम्पत्ति पर स्वयं कब्जा या उसका निरोध इस रीति से या इतने समय तक कर लेता है जो ऐसे नियमों के प्रतिकूल है, या जो सोसाइटी की किसी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है या नष्ट करता है ऐसे बकाया के लिये या सम्पत्ति के ऐसे निरोध, क्षति या नाश से प्रोद्भूत होने वाले नुकसान के लिये इसमें इसके पूर्व उपबन्धित रीति से वाद लाया जा सकेगा।

सफल प्रतिवादी द्वारा अधिनिर्णीत खर्चों की वसूली—किन्तु यदि प्रतिवादी सोसाइटी की प्रेरणा पर उसके खिलाफ लाये गये किसी वाद या अन्य कार्यवाही में सफल होता है और उसके पक्ष में उसके खर्चों की वसूली का अधिनिर्णय दिया जाता है, तो वह उस अधिकारी से जिसके नाम से वाद लाया गया था अथवा सोसाइटी से उन्हें वसूल करने का निर्वचन कर सकेगा और पश्चात्वर्ती दशा में वह उपरोक्त वर्णित रीति से उक्त सोसाइटी की सम्पत्ति के खिलाफ आदेशिका प्राप्त कर सकेगा।

Scanned with CamScanner

11. Members guilty of offences punishable as strangers.—Any member of the Society who shall steal, purloin or embezzle any money or other property, or willfully and maliciously destroy or injure any property of such Society, or shall forge any deed, bond, security for money, receipt or other instrument, whereby the funds of the Society may be exposed to loss, shall be subject to the same prosecution and if convicted shall be liable to be punished in like manner, as any person not a member would be subject and liable to in respect of the like offence.

12. Societies enabled to alter, extend or abridge their purpose.—Whenever it shall appear to the governing body of any Society registered under this Act, which has been established for any particular purpose or purposes, that it is advisable to alter, extend, or abridge such purpose to or for other purposes within the meaning of this Act, or to amalgamate such society either wholly or partially with any other Society, such governing body may submit the proposition to the members of the society in a written or printed report, and may convene a special meeting for the consideration thereof according to the regulations of the society :

But no such proposition shall be carried into effect unless such report shall have been delivered or sent by post to every member of the Society ten days previous to the special meeting convened by the governing body for the consideration thereof, nor unless such proposition shall have been agreed to by the notes of three-fifths of the members delivered in person or by proxy, and confirmed by the votes of three-fifths of the members present at a second special meeting convened by the governing body at an interval of one month after the former meeting.

STATE AMENDMENTS

SECTION 12-A

Bihar.—In Its application to the State of Bihar after Section 12, the following Section 12-A has been inserted, namely :

"12-A. *Change of name.*—Any number not less than three-fifths of any Society registered under Section 3 may, subject to the provisions of Section 12-B, change its name."—*Vide* Bihar Act XXX of 1998.

Uttar Pradesh.—"12-A. *Change of name.*—Any Society registered under this Act may, with the consent of not less than two-thirds of the total number of its members [1][and with the previous approval of the Registrar in writing] change its name by resolution passed at a general meeting convened for the purpose."—*Vide* U.P. Act. 52 of 1975.

SECTION 12-B

Bihar.—"12-B. *Notice of change of name.*—(1) Notice in writing of every change of name signed by the Secretary and by seven members of the Society changing its name shall be sent to the Registrar.

1. Ins. by U.P. Act No. 26 of 1979, Section 5.

11. अपराधों के दोषी सदस्यों का अन्य पक्षकार के रूप में दण्डनीय होना—सोसाइटी का कोई सदस्य जो उस सोसाइटी के किसी धन या अन्य सम्पत्ति को चुरायेगा, हड़पेगा या उसका गबन करेगा अथवा किसी सम्पत्ति को जानबूझकर और विद्वेषतः नष्ट करेगा या क्षति पहुँचायेगा अथवा किसी विलेख, बन्धपत्र, धन के लिये प्रतिभूति, रसीद या अन्य लिखत को कूटरचित करेगा जिससे सोसाइटी की निधियाँ हानि की जोखिम में पड़ जायें वह वैसे ही अभियोजनीय होगा, और यदि सिद्धदोष हुआ तो वैसी ही रीति से दण्डनीय होगा जैसे ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसा सदस्य न हो वैसे ही अपराध की बाबत अभियोजनीय और दण्डनीय होगा।

12. सोसाइटियों को अपने प्रयोजनों को परिवर्तित, विस्तारित या न्यून करने के लिये समर्थ बनाना—जब कभी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के, जो किसी विशिष्ट प्रयोजन या प्रयोजनों के लिये स्थापित की गई है, शासी निकाय को यह प्रतीत हो कि ऐसे प्रयोजन को इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत किन्हीं अन्य प्रयोजनों में या उनके लिये परिवर्तित, विस्तारित या न्यून करना या ऐसी सोसाइटी को पूर्णतः या भागतः किसी अन्य सोसाइटी के साथ समामेलित करना उपयुक्त होगा, तब ऐसा शासी निकाय उस प्रस्थापना को लिखित या मुद्रित रिपोर्ट के रूप में सोसाइटी के सदस्यों को निवेदित कर सकेगा तथा सोसाइटी के विनियमों के अनुसार उस पर विचार करने के लिये विशेष अधिवेशन बुला सकेगा :

किन्तु ऐसी कोई प्रस्थापना तब तक कार्यान्वित नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसी रिपोर्ट उस पर विचार करने के लिये शासी निकाय द्वारा बुलाये गये विशेष अधिवेशन से दस दिन पूर्व सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को परिदत्त नहीं कर दी जाती या डाक द्वारा नहीं भेज दी जाती और जब तक ऐसी प्रस्थापना के प्रति सहमति, सदस्यों के तीन बटा पाँच के मतों द्वारा जो स्वयं या परोक्षी के माध्यम से परिदत्त किये गये हों, नहीं दे दी जाती और पूर्ववर्ती अधिवेशन के पश्चात् एक मास के अन्तराल से शासी निकाय द्वारा बुलाये गये दूसरे विशेष अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के तीन बटा पाँच के मतों द्वारा पुष्टि नहीं कर दी जाती।

राज्य संशोधन

धारा 12-क

बिहार—बिहार राज्य को अपने अनुप्रयोग में, धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 12-क अन्तःस्थापित की गयी है, अर्थात्—

"12-क. *नाम में परिवर्तन*—धारा 3 के अधीन पंजीकृत किसी सोसाइटी के सदस्य, जो 3/5 से कम न हों, धारा 12-ख के प्रावधानों के अधीन अपने नाम को परिवर्तित कर सकते हैं।" देखें, बिहार अधिनियम, 1998 का 30।"

उत्तर प्रदेश—"12-क. *नाम में परिवर्तन*—अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई सोसाइटी, अपने सदस्यों की कुल संख्या के, जो दो तिहाई से कम न हों की सम्मति [1][एवं लिखित में रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से] उस प्रयोजन के लिये बुलायी गयी सामान्य बैठक में पारित किये गये संकल्प के द्वारा अपने नाम को परिवर्तित कर सकती है".—देखें उ० प्र० अधिनियम, 1975 का 52।

धारा 12-ख

बिहार—"12-ख. *नाम के परिवर्तन की सूचना*—(1) नाम के प्रत्येक परिवर्तन की सचिव एवं सोसाइटी के सात सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अपने नाम के परिवर्तन की लिखित में सूचना रजिस्ट्रार को भेजी जायेगी।

1. उ० प्र० अधिनियम 1979 का 26, धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित।

Scanned with CamScanner

(2) If the proposed name is identical with that by which any other existing Society has been registered or in the opinion of the Registrar, so nearly resembles such name as to be likely to deceive the public or the members of either Society, the Registrar shall refuse to register the change of name.

(3) Save as provided in sub-section (2), the Registrar shall, if he is satisfied that the provisions of this Act in respect of change of name have been complied with, register the change of name and the change of name shall have effect from the date of such registration."—*Vide* Bihar Act XXX of 1948.

Uttar Pradesh.—"12-B. *Notice of change of name or objects.*—(1) Notice in writing of every change of objects made under Section 12 or of name made under Section 12-A signed by the Secretary and any three other members of the Society shall be sent to the Registrar.

(2) Where the Registrar is satisfied that the provisions of this Act in respect of objects or name of Society and in respect of change of objects or of name, as the case may be, have been complied with, he may subject to the provisions of Section 12-C register the change of name which shall have effect from the date of such registration."—*Vide* U.P. Act 52 of 1975, Section 6 (*w.e.f.* 10.10.1975).

SECTION 12-C

Uttar Pradesh.—In its application to the State of Uttar Pradesh, after Section 12-B, the following Section 12-C shall be inserted, namely :

"12-C. *Effect of change of name or objects.*—The change in the objects or name of a Society shall not affect any rights or obligations of the Society, nor render defective any legal proceedings by or against the Society and any legal proceeding which might have been continued or commenced by or against it by its former name may be continued or commenced by or against it by its new name."—*Vide* U.P. Act 62 of 1975, Section 6 (*w.e.f.* 10.10.1975).

SECTION 12-D

Uttar Pradesh.—In its application to the State of U.P., after Section 12-C, the following Section 12-D, shall be inserted namely :

"12-D. *Registrar's power to cancel registration in certain circumstances.*—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Registrar may, by order in writing, cancel the registration of any society on any of the following grounds :—

(a) that the registration of the society or of its name or change of name is contrary to the provisions of this Act or of any other law for the time being in force;

(b) that its activities or proposed activities have been or are or will be subversive of the object of the Society or opposed to public policy;

(c) that the registration or the certificate of renewal has been obtained by misrepresentation or fraud :

Provided that no order of cancellation of registration of any Society shall be passed until the Society has been given a reasonable opportunity of altering its name or object or of showing cause against the action proposed to be taken in regard to it.

(2) यदि प्रस्तावित नाम उसके समरूप है जिसके द्वारा कोई अन्य विद्यमान सोसाइटी पंजीकृत की गयी है या रजिस्ट्रार की राय में, ऐसा नाम ऐसी निकटता से मिलता-जुलता है कि लोक को या अन्य सोसाइटी के सदस्यों को धोखा कारित करने की सम्भावना है, रजिस्ट्रार नाम के परिवर्तन को पंजीकृत करने से इन्कार कर देगा।

(3) जैसा उपधारा (2) में प्रावधानित है उसके सिवाय, रजिस्ट्रार, यदि वह सन्तुष्ट हो जाता है कि नाम के परिवर्तन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है, नाम के परिवर्तन को पंजीकृत करेगा और नाम का परिवर्तन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की दिनांक से प्रभावी होगा''.—देखें, बिहार अधिनियम, 1948 का 30।

उत्तर प्रदेश—'' *12-ख. नाम या उद्देश्यों के परिवर्तन की सूचना*—(1) धारा 12 के अधीन उद्देश्यों के एवं धारा 12-क के अधीन नाम के प्रत्येक परिवर्तन की, सोसाइटी के सचिव एवं किसी तीन अन्य सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में सूचना रजिस्ट्रार को भेजी जायेगी।

(2) जहाँ रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि यथास्थिति, सोसाइटी के उद्देश्यों एवं नाम के सम्बन्ध में और उद्देश्यों के या नाम के परिवर्तन के सम्बन्ध में, अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है, वह धारा 12-ग के प्रावधानों के अधीन, नाम के परिवर्तन को पंजीकृत करेगा जो ऐसे रजिस्ट्रीकरण की दिनांक से प्रभावी होगा''.—देखें, उ० प्र० अधिनियम, 1975 का 52, धारा 6 (10.10.1975 से प्रभावी)।

धारा 12-ग

उत्तर प्रदेश—उत्तर प्रदेश राज्य को अपने अनुप्रयोग में, धारा 12-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा 12-ग अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्—

'' *12-ग. नाम या उद्देश्य के परिवर्तन का प्रभाव*—सोसाइटी के उद्देश्यों या नाम में परिवर्तन से, न तो सोसाइटी के किसी अधिकार या दायित्व को प्रभावित करेगा, न तो सोसाइटी द्वारा या के विरुद्ध किसी विधिक कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण बनायेगा। और कोई विधिक कार्यवाही जो इसके पूर्ववर्ती नाम के द्वारा इसके द्वारा या इसके विरुद्ध जारी रखी गयी है या प्रारम्भ की गयी हो इसके द्वारा या के विरुद्ध नये नाम के द्वारा चालू रखी जा सकती है, या प्रारम्भ की जा सकती है,—देखें, उ० प्र० अधिनियम, 1975 का 62, धारा 6 (10.10.1975 से प्रभावी)।

धारा 12-घ

उत्तर प्रदेश—उत्तर प्रदेश राज्य को अपने अनुप्रयोग में, धारा 12-ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा 12-घ अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्—

'' *12-घ. कतिपय परिस्थितियों में रजिस्ट्रीकरण को निरस्त करने की रजिस्ट्रार की शक्ति*—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, रजिस्ट्रार लिखित इस आदेश के द्वारा, किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को निम्नलिखित में से किसी आधार पर निरस्त कर सकता है—

(क) यह कि सोसाइटी का या उसके नाम का या नाम में परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है;

(ख) यह कि इसके कार्य-कलाप का प्रस्तावित कार्य-कलाप सोसाइटी के उद्देश्य के ध्वंसात्मक या लोक नीति के विरोध में रहे हैं या हैं या होंगे;

(ग) यह कि रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण का प्रमाण-पत्र मिथ्या दुर्व्यपदेशन या कपट के द्वारा प्राप्त किया गया था :

परन्तु यह कि किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के निरस्तीकरण का कोई आदेश तब तक नहीं पारित किया जायेगा जब तक सोसाइटी को अपने नाम या उद्देश्य को परिवर्तित करने या इसके सम्बन्ध में उसके विरुद्ध की जाने वाले प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने के लिये युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

Scanned with CamScanner

[1][(2) An appeal against an order made under sub-section (1) may be preferred to the Commissioner of the Division in whose jurisdiction the Headquarter of the Society .ies, within one month from the date of communication of such order.]

[2][(3) The decision of the Commissioner under sub-section (2), shall be final and shall not be called in question in any court.]"—*Vide* U.P. Act 52 of 1975, Section 6 (*w.e.f.* 10.10.1975), U.P. Act 26 of 1979.

13. Provision for the dissolution of Societies and adjustment of their affairs.—Any number not less than three-fifths of the members of any Society may determine that it shall be dissolved, and thereupon it shall be dissolved forthwith, or at the time then agreed upon, and all necessary steps shall be taken for the disposal and settlement of the property of the Society, its claims and liabilities according to the rules of the said Society applicable thereto, if any, and if not, then as the governing body shall find expedient provided that in the event of any dispute arising among the said governing body or the members of the Society the adjustment of its affairs shall be referred to the principal Court of original civil jurisdiction of the district in which the chief building of the Society is situate; and the Court shall make such order in the matter as it shall deem requisite :

Assent required.—Provided that no Society shall be dissolved unless three-fifths of the members shall have expressed a wish for such dissolution by their votes delivered in person, or by proxy, at a general meeting convened for the purpose :

Government consent.—Provided that [whenever any Government] is a member of or a contributor to, or otherwise interested in, any Society registered under this Act, such Society shall not be dissolved [without the consent of the Government of the State of registration.]

STATE AMENDMENTS

Uttar Pradesh.—(i) In Section 13 of the principal Act, for the words, "chief building of the Society" the words, "registered office of the Society" shall be subsitituted.—*Vide* U.P. Act 52 of 1975, Section 7 (*w.e.f.* 10.10.1975).

SECTIONS 13-A and 13-B

Uttar Pradesh.—In its application to the State of Uttar Pradesh, after Section 13, insert following new sections, namely :-

"13-A. *Power of Registrar to apply for dissolution.*—(1) Where in the opinion of Registrar, there of reasonable grounds to believe in respect of a society registered under this Act that any of the grounds mentioned in clauses *(a)* to *(e)* of sub-section (1) of Section 13-B exists he shall send to the society, a notice calling upon it to show cause within such time as may be specified in the notice why the society be not dissolved.

(2) If or before the date specified in the notice or within such extended period as the Registrar may allow the society fails to show any cause or if

1. *Ins.* by U.P. Act 11 1984, Section 5 (*w.e.f.* 30.4.1984).
2. *Subs*, by U.P. Act 11 1984, Section 5 (*w.e.f.* 30.4.1984).

[1][(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसे आदेश की संसूचना की दिनांक से एक माह के भीतर उस मण्डल, जिसकी अधिकारिता के भीतर सोसाइटी का मुख्यालय स्थित है, के आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।]

[2][(3) उपधारा (2) के अधीन, आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी]''.—देखें, उ० प्र० अधिनियम, 1975 का 52, धारा 6 (10.10.1975 से प्रभावी), उ० प्र० अधिनियम, 1979 का 26]।

13. सोसाइटियों के विघटन और उनके काम-काज के समायोजन के लिये उपबन्ध—किसी सोसाइटी के 3/5 से अन्यून कितने ही सदस्य अवधारित कर सकेंगे कि उसे विघटित कर दिया जाये और तब वह तत्क्षण या तत्समय या सहमत समय पर विघटित कर दी जायेगी और सोसाइटी की सम्पत्ति उसके दावों और दायित्वों के निपटारे और व्यवस्थापन के लिये उसको लागू उक्त सोसाइटी के नियमों के अनुसार, यदि कोई हो, और यदि कोई न हों तो जैसा शासी निकाय समीचीन समझे उसके अनुसार समस्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी परन्तु उक्त शासी निकाय या सोसाइटी के सदस्यों के बीच कोई विवाद पैदा होने की दशा में उसके कामकाज का समायोजन, उस जिले के, जिसमें सोसाइटी का मुख्य भवन स्थित है, मूल सिविल अधिकारिता वाले प्रधान न्यायालय को निर्दिष्ट किया जायेगा, और न्यायालय मामले में ऐसा आदेश करेगा जैसा वह आवश्यक समझे :

अभिमत आवश्यक.—परन्तु कोई सोसाइटी तब तक विघटित नहीं की जायेगी जब तक कि सदस्यों में से तीन बटा पाँच ने ऐसे विघटन के लिये इच्छा ऐसे साधारण अधिवेशन में जो उस प्रयोजन के लिये बुलाया गया हो, स्वयं या परोक्षी के माध्यम से परिदत्त अपने मतों से, अभिव्यक्त न कर दी हो :

सरकार की सम्मति.—परन्तु [जब कभी कोई सरकार] इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी की सदस्य हो या अंशदाता हो या उसमें अन्यथा हितबद्ध हो तब ऐसी सोसाइटी का विघटन [रजिस्ट्रीकरण के राज्य की सरकार की सम्मति के बिना] नहीं किया जायेगा।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश—(i) मुख्य अधिनियम की धारा 13 में शब्दों ''सोसाइटी की मुख्य भवन'' के लिये शब्द ''सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय'' प्रतिस्थापित किया जायेगा.—देखें, उ० प्र० अधिनियम, 1975 का 52, धारा 7 (10.10.1975 से प्रभावी)।

धारा 13-क एवं 13-ख

उत्तर प्रदेश—उत्तर प्रदेश राज्य की अपने अनुप्रयोग में, धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें अन्तःस्थापित, अर्थात्—

''*13-क. विघटन के लिये आवेदन करने की रजिस्ट्रार की शक्ति*—(1) जहाँ रजिस्ट्रार की राय में, इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत सोसाइटी के सम्बन्ध में, यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि धारा 13-ख की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ङ) में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है, वह ऐसे समय के भीतर, जैसे सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, सोसाइटी को यह कारण बताने के लिये कि सोसाइटी विघटित क्यों न कर दी जाय, मांग करते हुये सूचना सोसाइटी को भेजी जायेगी।

(2) यदि सूचना में विनिर्दिष्ट की गयी दिनांक पर या पहले या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर, जैसे रजिस्ट्रार अनुज्ञात करे, सोसाइटी कोई कारण दिखाने में असमर्थ रहती है या यदि दिखाया गया

1. उ० प्र० अधिनियम, 1984 का 11, धारा 5 (30.4.1984 से प्रभावी) द्वारा अन्तःस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम, 1984 का 11, धारा 5 (30.4.1984 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित।

Scanned with CamScanner

the cause shown is considered by the Registrar to be unsatisfactory, the Registrar, may move the Court referred to in Section 13 for making an order of the dissolution of the society."

"13-B. *Dissolution by Court.*—(1) On the application of the Registrar under Section 13-A or under Section 34 or on an application made by not less than one-tenth of the members of a society registered under this Act, the Court referred to in Section 13 may make an order for the dissolution of the society on any of the following ground, namely :

(a) that society has contravened any provision of this Act or of any other law for the time being in force and it just and equitable that the society should be dissolved;

(b) that the number of the members of the society is reduced below seven;

(c) that the society has ceased to function for more than three years preceding the date of such application;

(d) that the society is unable to pay its debts or meet its liabilities; or

(e) that the registration of the society has been cancelled under Section 12-D on the ground that its activities or proposed activities have been or are or will be opposed to public policy.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1) or of Section 12-D, the Court may on an application of the District Magistrate in this behalf make order for the dissolution of a society on the ground that the activities of the society constitute a public nuisance or are otherwise opposed to public policy.

(3) When an order for the dissolution of society is made under sub-section (1) or sub-section (2), all necessary steps for the disposal and the settlement of its affairs take place in manner as the Court may direct."—Vide U.P. Act 52 of 1975, Section 8 (*w.e.f.* 10.10.1975).

14. Upon a dissolution no member to receive profit.—If upon the dissolution of any Society registered under this Act, there shall remain, after the satisfaction of all its debts and liabilities, any property whatsoever, the same shall not be paid to or distributed among the members of the said Society or any of them, but shall be given to some other Society, to be determined by the votes of not less than three-fifths of the members present personally or by proxy at the time of the dissolution, or, in default thereof by such Court as aforesaid :

Clause not to apply to Joint Stock Companies.—Provided, however, that this clause shall not apply to any Society which shall have been founded or established by the contributions of share-holders in the nature of a Joint Stock Company.

STATE AMENDMENTS

SECTION 14-A

Bihar.—In its application to the State of Bihar after Section 14, the following Section 14-A has been inserted, namely: —

"14-A. *Disposal of property of dissolved Society.*—Notwithstanding anything contained in Section 14 it shall be lawful for the members of any

कारण रजिस्ट्रार द्वारा असंतोषजनक होना समझा जाता है, रजिस्ट्रार सोसाइटी के विघटन का आदेश देने के लिये धारा 13 में निर्दिष्ट न्यायालय के समक्ष समावेदन कर सकता है।''

''13-ख. *न्यायालय द्वारा विघटन*—(1) धारा 13-क या धारा 34 के अधीन रजिस्ट्रार के आवेदन पर या इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत सोसाइटी के सदस्यों, जो 1/10 से कम न हों, के द्वारा किये गये आवेदन पर, धारा 13 में निर्दिष्ट न्यायालय निम्नलिखित में से किसी आधार पर सोसाइटी के विघटन के लिये आदेश पारित कर सकता है, अर्थात्—

(क) यह कि सोसाइटी ने इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है एवं यह न्यायोचित और साम्यपूर्ण है कि सोसाइटी को विघटित कर दिया जाय;

(ख) यह कि सोसाइटी के सदस्यों की संख्या सात से कम हो गयी है;

(ग) यह कि सोसाइटी ने ऐसे आवेदन की दिनांक से तीन से अधिक वर्ष पहले से कार्य करना समाप्त कर दिया है;

(घ) यह कि सोसाइटी अपने ऋणों को सन्दत्त करने या अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो गयी है; या

(ङ) यह कि धारा 12-घ के अधीन सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण इस आधार पर निरस्त किया गया है कि इसके कार्य-कलाप या प्रस्तावित कार्य-कलाप लोकनीति के विरोध में रहे हैं या हैं या होंगे।

(2) उपधारा (1) के या धारा 12-घ के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यायालय इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट के आवेदन पर, सोसाइटी के विघटन के लिये इस आधार पर आदेश दे सकता है कि सोसाइटी के कार्य-कलाप लोक उपताप गठित करते हैं या अन्यथा लोक नीति के विरोध में है।

(3) जब उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन सोसाइटी के विघटन के लिये आदेश दिया जाता है, सोसाइटी की सम्पत्ति के व्ययन एवं बन्दोबस्त के लिये सभी आवश्यक कदम इसके दावे एवं दायित्व तथा इसके कार्य-कलापों का कोई अन्य समायोजन ऐसे ढंग से होता है, जैसे न्यायालय निर्देश दे।''—देखें उ० प्र० अधिनियम, 1975 का 52, धारा 8 (10.10.1975 से प्रभावी)।

14. विघटन पर किसी सदस्य का लाभ प्राप्त न करना—यदि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के विघटन पर उसके समस्त ऋणों और दायित्वों की तुष्टि के पश्चात् कोई भी सम्पत्ति रह जाये तो वह उक्त सोसाइटी के सदस्यों या उसमें से किसी को सन्दत्त या उनमें वितरित नहीं की जायेगी किन्तु किसी ऐसी अन्य सोसाइटी को दी जायेगी जो विघटन के समय पर स्वयं या परोक्षी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों के तीन बटा पाँच से अन्यून मत द्वारा या उसके अभाव में ऐसे न्यायालय द्वारा जैसा पूर्वोक्त है, अवधारित की जाये।

खण्ड का संयुक्त स्टाक कम्पनियों को लागू न होना—परन्तु फिर भी यह खण्ड किसी ऐसी सोसाइटी को लागू नहीं होगा जो संयुक्त स्टाक कम्पनी के रूप में शेयर धारकों के अभिदायों से प्रतिष्ठापित या स्थापित की गई हो।

राज्य संशोधन

धारा 14-क

बिहार—बिहार राज्य को अपने अनुप्रयोग में धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 14-क अन्तःस्थापित की गयी है, अर्थात्—

'' *14-क. विघटित सोसाइटी की सम्पत्ति का निस्तारण*—धारा 14 में निहित किसी बात के होते हुये भी, धारा 13 के अधीन विघटित किसी सोसाइटी के सदस्यों के लिये, ऐसी सोसाइटी के विघटन के

Scanned with CamScanner

Society dissolved under Section 13 to determine by a majority of the votes of the members present personally or by proxy at the time of dissolution of such Society that any property whatsoever remaining after the satisfaction of all the debts and liabilities shall be given to Government to be utilized for any of the purposes referred to in Section 2".—*Vide* Bihar Act XI of 1960.

Uttar Pradesh—In its application to the State of Uttar Pradesh, after Section 14, the following Section 14-A has been inserted, namely :—

'14-A. *Disposal of property of a dissolved Society.*—Notwithstanding anything contained in Section 14, it shall be lawful for the members of any Society dissolved under Section 13 to determine, by a majority of the votes of the members present personally or by proxy at the time of the dissolution of such Society, that any property whatsoever remaining after the satisfaction of all the debts and liabilities shall be given to the Government to be utilized for any of the purposes referred to in Section 1."—*Vide* U.P. Act LII of 1975, Section 9.

15. Member defined.—For the purposes of this Act, a member of a Society shall be a person who, having been admitted therein according to the rules and regulations thereof, shall have paid a subscription or shall have signed the roll or list of members thereof, and shall not have resigned in accordance with such rules and regulations; but in all proceedings under this Act no person shall be entitled to vote or be counted as a member whose period exceeding three months.

STATE AMENDMENT

Uttar Pradesh.—In its application to State of Uttar Pradesh existing Section 15 shall be re-numbered as sub-section (1) and after sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-section shall be inserted, namely :

"(2) Every Society shall maintain a register of members giving such particulars as may be prescribed."—*Vide* U.P. Act 11 of 1984, Section 6 (*w.e.f.* 30.4.1984).

16. Governing body defined.—The governing body of the Society shall be the governors, council, directors, committee, trustees, or other body to whom by the rules and regulations of the Society the management of its affairs is entrusted.

STATE AMENDMENTS

SECTION 16-A

Uttar Pradesh.—In its application to the State of Uttar Pradesh after Section 16 the following Section 16-A has been inserted, namely :

"16-A. *Disqualifications for holding office in Society.*—A person who is an undischarged insolvent or who has been convicted of any offence in connection with the formation, promotion, management or conduct of the affairs of a Society, or of a body corporate, or of an offence involving moral turpitude shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of the governing body or the President, Secretary, or any other office-bearer of a Society."—*Vide*, U.P. Act LII of 1975, Section 10 (*w.e.f.* 10.10.1975).

समय, वर्तमान सदस्यों के वोटों के बहुमत द्वारा व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी के द्वारा यह निर्धारित करना विधिपूर्ण होगा कि कोई सम्पत्ति, जो कुछ भी हो, सभी ऋणों एवं दायित्वों की सन्तुष्टि के पश्चात् शेष रहे, धारा 2 में निर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिये उपयोग किये जाने हेतु सरकार को दी जायेगी''.– देखें, बिहार अधिनियम, 1960 का 11।

उत्तर प्रदेश—उत्तर प्रदेश राज्य को अपने अनुप्रयोग में, धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 14-क अन्तःस्थापित की गयी है, अर्थात्—

''*14-क. एक विघटित सोसाइटी की सम्पत्ति का निस्तारण*—धारा 14 में निहित किसी बात के होते हुये भी, धारा 13 के अधीन विघटित किसी सोसाइटी के सदस्यों के लिये, वर्तमान सदस्यों के वोटों के बहुमत द्वारा व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी द्वारा ऐसी सोसाइटी के विघटन के समय, यह निर्धारित करना विधिपूर्ण होगा कि कोई सम्पत्ति, जो कुछ भी हो, सभी ऋणों एवं दायित्वों की सन्तुष्टि के पश्चात् शेष रहे, धारा 1 में निर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिये उपयोग किये जाने हेतु सरकार को दी जायेगी.—देखें, उ० प्र० अधिनियम, 1975 का 52, धारा 9।

15. सदस्य परिभाषित—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सोसाइटी का सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जिससे उसके नियमों और विनियमों के अनुसार उसमें सम्मिलित कर लिये जाने पर चन्दा दे दिया हो या उसके सदस्यों की नामावली या सूची में हस्ताक्षर कर दिये हों और ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार पदत्याग न किया हो, किन्तु इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों में कोई व्यक्ति, जिसका चन्दा उस समय तीन मास से अधिक का बकाया हो सदस्य रूप में मत देने या गिने जाने का हकदार नहीं होगा।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश—उत्तर प्रदेश राज्य को अपने अनुप्रयोग में, विद्यमान धारा 15 उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित एवं उपधारा (1) के पश्चात् ऐसे पुनःसंख्यांकित निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्—

''(2) प्रत्येक सोसाइटी ऐसी विशिष्टियों को देते हुये, जैसे विहित किया जाय, सदस्यों का एक रजिस्टर बनायेगी''.—देखें, उ० प्र० अधिनियम, 1984 का 11, धारा 6 (30.4.1984 से प्रभावी)।

16. शासी निकाय परिभाषित—व्यवस्थापक परिषद्, निदेशक, समिति, न्यासी या अन्य निकाय जिसको सोसाइटी के नियमों और विनियमों द्वारा उसके कामकाज का प्रबन्ध सौंपा गया हो, सोसाइटी के शासी निकाय होंगे।

राज्य संशोधन

धारा 16-क

उत्तर प्रदेश—उ० प्र० राज्य को अपने अनुप्रयोग में, धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 16-क अन्तःस्थापित की गयी है, अर्थात्—

''*16-क. सोसाइटी में पद धारित करने के लिये अयोग्यतायें*—एक व्यक्ति जो अनुन्मोचित दिवालिया है या जो सोसाइटी या निगमित निकाय के गठन, प्रोन्नति, प्रबन्धन, या कार्य-कलापों के संचालन से सम्बन्धित किसी अपराध या ऐसे अपराध, जिसमें नैतिक अधमता शामिल है, के लिये दोषसिद्ध किया गया है, शासी निकाय का सदस्य या सोसाइटी का अध्यक्ष, सचिव या कोई अन्य पद-धारक के रूप में चुने जाने के लिये या होने के लिये अयोग्य होगा''—देखें : उ० प्र० अधिनियम, 1975 का 52, धारा 10 (10.10.1975 से प्रभावी)।

Scanned with CamScanner

17. Registration of Societies formed before Act.—Any company or Society established for a literary, scientific or charitable purpose and registered under Act 43 of 1850, or any such Society established and constituted previously to the passing of this Act but not registered under the said Act 43 of 1850, may, at any time hereafter be registered as a Society under this Act; subject to the proviso that no such company or society shall be registered under this Act unless an assent to its being so registered has been given by three-fifths of the members present personally or by proxy at some general meeting convened for that purpose by the governing body.

In the case of a company of Society registered under Act 43 of 1850 the directors shall be deemed to be such governing body.

In the case of a Society not so registered, if no such body shall have been constituted on the establishment of the Society, it shall be competent for the members thereof, upon due notice, to create for itself a governing body to act for the Society thenceforth.

STATE AMENDMENT

Bihar.—In its application to the State of Bihar, for Section 17, substitute the following namely :—

"17. *Registration of Society formed under other Act.*—Any company or Society established for a literary, scientific or charitable purpose and registered under the Indian Companies Act, 1913 (VII of 1913), or under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and not registered under this Act may, at any time hereinafter be registered as a Society under this Act :

Provided that no such company or Society shall be registered under this Act unless an assent to its being so registered has been given by three-fifths of the members present there personally or by proxy at some general meeting convened for the purpose by governing body.

In case of a company or Society registered under the Indian Companies Act, 1913 (VII of 1913) or the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the directors of the said company or Society, as the case may be, shall be deemed to be such governing body.

In the case of Society not so registered if no such body shall have been constituted on the establishment of the Society, it shall be competent for the member thereof, upon due notice, to create for itself a governing body to act for the Society thenceforth."—*Vide* Bihar Act 2 of 1960, Section 5 (*w.e.f.* 8.2.1960).

18. Such Societies to file memorandum, etc., with Registrar of Joint Stock Companies.—In order to any such Society as is mentioned in the last preceding section obtaining registry under this Act, it shall be sufficient that the governing body file with the Registrar of Joint Stock Companies, a memorandum showing the name of the Society, the objects of the Society, and the names, addresses and occupations of the governing body, together with a copy of the rules and regulations of the Society certified as provided in Section 2, and a copy of the report of the

17. अधिनियम से पूर्व बनाई गई सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण—साहित्यिक, वैज्ञानिक या पूर्त प्रयोजन के लिये स्थापित और 1850 के अधिनियम 43 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी या सोसाइटी को अथवा इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व स्थापित और गठित किन्तु उक्त 1850 के अधिनियम 43 के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हुई ऐसी किसी सोसाइटी को इसके पश्चात् किसी भी समय इस अधिनियम के अधीन सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्री की जा सकेगी। परन्तु इसके होते हुये कि ऐसी किसी कम्पनी या सोसाइटी को इस अधिनियम के अधीन तब तक रजिस्ट्री नहीं की जायेगी जब तक कि उसके ऐसे रजिस्ट्री किये जाने के लिये अनुमति, शासी निकाय द्वारा उस प्रयोजन के लिये बुलाये गये किसी साधारण अधिवेशन में स्वयं या परोक्षी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों में से 3/5 द्वारा नहीं दे दी जाती।

1850 के अधिनियम 43 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी या सोसाइटी की दशा में निदेशकों को ऐसा शासी निकाय समझा जायेगा।

ऐसे रजिस्ट्रीकृत न हुई सोसाइटी की दशा में यदि सोसाइटी की स्थापना पर ऐसा कोई निकाय गठित न किया गया हो तो उसके सदस्यों के लिये यह सक्षम होगा कि वे सम्यक् सूचना पर तब से सोसाइटी के लिये कार्य करने के लिये एक शासी निकाय स्वयं बना लें।

राज्य संशोधन

बिहार—बिहार राज्य को अपने अनुप्रयोग में, धारा 17 के लिये निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कीजिए, अर्थात्—

"17. *अन्य अधिनियम के अधीन गठित सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण*—साहित्यिक, वैज्ञानिक या पूर्त प्रयोजनों के लिये स्थापित कोई कम्पनी या सोसाइटी एवं भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) के अधीन या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन पंजीकृत एवं इस अधिनियम के अधीन न पंजीकृत कोई कम्पनी या सोसाइटी, इसमें इसके पश्चात् किसी समय इस अधिनियम के अधीन सोसाइटी के रूप में पंजीकृत की जा सकती है :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसी सोसाइटी या कम्पनी पंजीकृत नहीं की जायेगी, जब तक शासी निकाय के द्वारा आयोजित किसी सामान्य बैठक में वहाँ उपस्थित 3/5 संदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से या जत्स्थानी के द्वारा इसके ऐसे पंजीकृत होने की अनुमति न दे दी गयी हो।

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन पंजीकृत कम्पनी या सोसाइटी के मामले में, यथास्थिति, कथित कम्पनी या सोसाइटी के निदेशक ऐसे शासी निकाय माने जायेंगे।

ऐसे पंजीकृत न की गयी सोसाइटी के मामले में, यदि ऐसी सोसाइटी की स्थापना पर ऐसा कोई निकाय नहीं गठित किया गया है, सम्यक् सूचना पर, उसके सदस्य उसके बाद से सोसाइटी के लिये कार्य करने हेतु स्वयं शासी निकाय सृजित करने के लिये सक्षम होंगे''.—देखें : बिहार अधिनियम, 1960 का 2, धारा 5 (8.2.1960 से प्रभावी)।

18. ऐसी सोसाइटियों द्वारा संयुक्त स्टाक कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास ज्ञापन आदि का दाखिल किया जाना—ऐसी किसी सोसाइटी के लिये जैसी अन्तिम पूर्वगामी धारा में वर्णित है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री अभिप्राप्त करने के लिये यह पर्याप्त होगा कि शासी निकाय, संयुक्त स्टाक कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास सोसाइटी का नाम, सोसाइटी के उद्देश्य और शासी निकाय के नाम, पते और उपजीविकायें दर्शित करने वाला एक ज्ञापन सोसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति जो धारा 2 में उपबन्धित रूप में प्रमाणित हो

Scanned with CamScanner

proceedings of the general meeting at which the registration was resolved on.

STATE AMENDMENTS

Bihar.—In its application to the State of Bihar, in Section 18 for the words "Registrar of Joint-Stock Companies" the words "Inspector-General of Registration" shall be substituted.—*Vide* Bihar Act XIX of 1956, Section 6.

Uttar Pradesh.—In its application to the State of Uttar Pradesh in Section 18, for the words "Registrar of Joint Stock Companies", substitute the word "Registrar".—*Vide* U.P. Act 25 of 1958, Section 3 (*w.e.f.* 25.8.1958).

19. Inspection of document—Certified copies.—Any person may inspect all documents filed with the Registrar under this Act on payment of a fee of one rupee for each inspection; and any person may require a copy or extract of any document or any part of any document, to be certified by the Registrar, on payment of two annas for every hundred words of such copy or extract. And such certified copy shall be *prima facie* evidence of the matters therein contained in all legal proceedings whatever.

STATE AMENDMENTS

Bihar.—In Section 19, the word "Registrar", wherever it occurs in the section, has been replaced by the words "Inspector-General of Registration".—*Vide* Bihar Act XIX of 1956, Section 7.

Uttar Pradesh.—In its application to the State of Uttar Pradesh, in Section 19:

(i) for the words "on payment of a fee of one rupees for each inspection" substitute the words "on payment of such fee as the State Government may, by notification in the Official Gazette, fix"; and

(ii) for the words "on payment of two annas for every hundred words of such copy of extract" substitute the words "on payment of such fee as the State Government may by notification in the Official Gazette, fix"—*Vide* U.P. Act 52 of 1975, Section 11 (*w.e.f.* 11.10.1975).

20. To what Societies the Act applies.—The following Societies may be registered under this Act:

Charitable Societies, the military orphan funds or Societies established at the several presidencies of India, Societies established for the promotion of science, literature, or the fine arts for instruction, the diffusion of useful knowledge, the diffusion of political education, the foundation or maintenance of libraries or reading-rooms for general use among the members or open to the public or public museum and galleries of paintings and other works of art, collections of natural history, mechanical and philosophical inventions, instruments or designs.

STATE AMENDMENTS

Bihar.—In its application to the State of Bihar, in Section 20, after the words "science, literature" insert the words "industry, agriculture".—*Vide* Bihar Act 2 of 1960, Section 6. (*w.e.f.* 8.2.1960).

और उस साधारण अधिवेशन की जिसमें रजिस्ट्रीकरण का संकल्प किया गया था, कार्यवाहियों की सूचना की एक प्रति सहित दाखिल करें।

राज्य संशोधन

बिहार—बिहार राज्य को अपने अनुप्रयोग में, धारा 18 में शब्दों "संयुक्त स्टॉक कम्पनियों के रजिस्ट्रार' के लिये शब्द "महानिरीक्षक निबन्धन" प्रतिस्थापित किये जायेंगे.—देखें : बिहार अधिनियम, 1956 का 19, धारा 6।

उत्तर प्रदेश—उत्तर प्रदेश राज्य को अपने अनुप्रयोग में, धारा 18 में, शब्दों "संयुक्त स्टॉक कम्पनियों के रजिस्ट्रार' के लिये शब्द "रजिस्ट्रार' प्रतिस्थापित.—देखें : उ० प्र० अधिनियम, 1958 का 25, धारा 3 (25.8.1958 से प्रभावी)।

19. दस्तावेजों का निरीक्षण—प्रमाणित प्रतियाँ—कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए गये समस्त दस्तावेजों का निरीक्षण, प्रत्येक निरीक्षण के लिये एक रुपये की शुल्क देकर, कर सकेगा, और कोई भी व्यक्ति, किसी दस्तावेज या किसी दस्तावेज के किसी भाग की नकल या उद्धरण का रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किया जाना, ऐसी नकल या उद्धरण के हर सौ शब्दों के लिये दो आने देकर अपेक्षित कर सकेगा; और ऐसी प्रमाणित प्रति, सभी विधि कार्यवाहियों में उसमें अन्तर्विष्ट विषयों का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होगी।

राज्य संशोधन

बिहार—धारा 19 में, शब्द "रजिस्ट्रार', जहाँ कहीं यह धारा में आये हो, शब्दों "महानिरीक्षक निबन्धन" के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है.—देखें : बिहार अधिनियम, 1956 का 19, धारा 7।

उत्तर प्रदेश—उत्तर प्रदेश राज्य को अपने अनुप्रयोग में, धारा 19 में :

(i) शब्दों "प्रत्येक निरीक्षण के लिये एक रुपये के शुल्क के सन्दाय पर" के लिये शब्द "ऐसे शुल्क के सन्दाय पर, जैसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे" प्रतिस्थापित, एवं

(ii) शब्दों "ऐसे सार की प्रतिलिपि के प्रत्येक सौ शब्दों के लिये दो आना के सन्दाय पर" के लिये शब्द "ऐसे शुल्क के सन्दाय पर जैसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे" प्रतिस्थापित.—देखें : उ० प्र० अधिनियम, 1975 का 52, धारा 11 (1) 11.10.1975 से प्रभावी)।

20. अधिनियम किन सोसाइटियों को लागू होता है—इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियाँ पंजीकृत की जा सकेगी—

पूर्त सोसाइटियाँ, भारत की विभिन्न प्रोसिडेन्सियों में स्थापित सैनिक अनाथ निधियाँ या सोसाइटियाँ, विज्ञान, साहित्य या ललित कलाओं के शिक्षण का प्रोन्यन उपयोगी ज्ञान का प्रसार, राजनीतिक शिक्षा के प्रसार, सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों, यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखतों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियाँ।

राज्य संशोधन

बिहार—बिहार राज्य के अपने अनुप्रयोग में, धारा 20 में शब्दों "विज्ञान साहित्य" के पश्चात् शब्द "उद्योग, कृषि" अन्तःस्थापित.—देखें : बिहार अधिनियम, 1960 का 2, धारा 6 (8.2.1960 से प्रभावी)।

Scanned with CamScanner

Uttar Pradesh.—In its application to the State of Uttar Pradesh, in Section 20, after the words "established for the promotion of" and before the word "science" insert the words "Khadi and Village Industry, Panchayat Industry, Rural Development".—*Vide* U.P. Act 11 of 1984, Section 7 (*w.e.f.* 30.4.1984).

NEW SECTIONS ADDED BY STATES

Bihar.—The following new Section 21 has been inserted, namely :

"21. *Penalty for non-compliance of Section 4 or making a false entry.*—(1) If the President, Secretary or any person authorised in this behalf by a resolution of the governing body of the Society fails to comply with the provisions of Section 4, he shall be punished with fine which may extend to five hundred rupees and to a further fine not exceeding fifty rupees of each day during which the default is continued after conviction for such offence.

(2) If any person wilfully makes or causes to be made any false entry in or any omission from the list required by Section 4 or in or from any statement, or copy of rules or of alteration in rules sent to the Inspector-General of Registration under Section 4-A, he shall be punished with fine which may extend to two thousand rupees."—*Vide* Bihar Act IV of 1951 and Bihar Act 19 of 1956.

Uttar Pradesh.—In its application to the State of Uttar Pradesh for Section 21 substitute the following section, namely :

"21. In this Act the word 'Registrar' means a person appointed as such by the State Government and includes any Additional Registrar, a Joint Registrar, Deputy Registrar or Assistant Registrar on whom all or any of the powers of the Registrar under this Act are conferred by general or special order of the State Government".—*Vide* U.P. Act 26 of 1979, Section 7 (*w.e.f.* 16.7.1979) Section 21 was previously added by U.P. Act 25 of 1958, Section 3 (*w.e.f.* 25.8.1958).

SECTION 22

Bihar.—After Section 21 of the following Section shall be added, namely :—

"22. *Trial of offences.*—No Court inferior to that of a Magistrate of the First Class shall try any offence punishable under this Act.—*Vide* Bihar Act IV to 1950, Section 3 and Bihar Act XIX of 1956, Section 8.

Uttar Pradesh.—After Section 21 of the following Section shall be added, namely :

"22. *Power of Registrar to call for information.*—(1) The Registrar may, by written order, require any Society to furnish in writing such information or document within such time, being ordinarily not less than two weeks from the date of receipt of the order by the Society, as he may specify in the order in connection with the affairs of the Society or any documents filed by the Society under this Act.

उत्तर प्रदेश—उत्तर प्रदेश राज्य को अपने अनुप्रयोग में, धारा 20 में शब्दों ''की प्रोन्नति के लिये स्थापित'' के पश्चात् एवं शब्द ''विज्ञान'' के पहले शब्द ''खादी एवं ग्रामोद्योग, पंचायत उद्योग, ग्रामीण विकास'' अन्त: रूपरेखा स्थापित.—देखें : उ० प्र० अधिनियम, 1984 का 11, धारा 7 (30.4.1984 से प्रभावी)।

राज्यों द्वारा जोड़ी गई नई धाराएं

धारा 21

बिहार—निम्नलिखित नई धारा 21 अन्त:स्थापित की गयी है, अर्थात्—

''*21. धारा 4 के अपालन या मिथ्या प्रविष्टि करने के लिये शास्ति*—(1) यदि अध्यक्ष, सचिव या सोसाइटी के शासी निकाय के संकल्प के द्वारा इस निमित्त में प्राधिकृत कोई व्यक्ति धारा 4 के प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है और प्रत्येक दिन के लिये पचास रुपये के अग्रिम जुर्माने से, जिसके दौरान ऐसे अपराध के लिये दोपसिद्धि के पश्चात् व्यतिक्रम जारी रहता है, दण्डित किया जायेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के द्वारा अपेक्षित सूची में या धारा 4-क के अधीन महानिरीक्षक निबन्धन को भेजे गये किसी विवरण या नियमों की प्रतिलिपियों या नियमों में परिवर्तन में कोई मिथ्या प्रविष्टि या कोई लोप करता है या कराता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा.—देखें : बिहार अधिनियम, 1951 का 4 एवं बिहार अधिनियम, 1956 का 19।

उत्तर प्रदेश—उत्तर प्रदेश राज्य को अपने अनुप्रयोग में, धारा 21 के लिये निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित, अर्थात्—

''*21.* इस अधिनियम में शब्द ''रजिस्ट्रार' से राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है एवं इसमें कोई अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार को शामिल है, जिस पर राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की सभी या कोई शक्ति प्रदत्त की गयी है''.—उ० प्र० अधिनियम, 1979 का 26, धारा 7 (16.7.1979 से प्रभावी), धारा 21 पहले उ० प्र० अधिनियम, 1958 का 25, धारा 3 (25.8.1958 से प्रभावी) द्वारा जोड़ी गयी थी।''

धारा 22

बिहार—धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जायेगी अर्थात्—

''*22. अपराधों का विचारण*—प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से निम्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा.—देखें : बिहार अधिनियम, 1950 का 4, धारा 3 एवं बिहार अधिनियम, 1956 का 19, धारा 8।

उत्तर प्रदेश—धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्—

''*22. सूचना मांगने की रजिस्ट्रार की शक्ति*—(1) रजिस्ट्रार, लिखित आदेश के द्वारा ऐसे समय के भीतर, जो सामान्यतया सोसाइटी के द्वारा आदेश की प्राप्ति की दिनांक से दो सप्ताह से कम न हो, किसी सोसाइटी से लिखित में ऐसी सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जैसे वह सोसाइटी के कार्य-कलापों या इस अधिनियम के अधीन सोसाइटी के द्वारा दाखिल किये गये किसी दस्तावेज के सम्बन्ध में आदेश में विनिर्दिष्ट करे।

Scanned with CamScanner

(2) On receipt by the Society of an order under sub-section (1), it shall be the duty of the President, Secretary or any other person authorized in this behalf to furnish such information or documents."—*Vide* U.P. Act LII of 1975, Section 11.

SECTION 23

Bihar:—After Section 22 of the following section shall be added, namely:

"23. *Cancellation of registration in certain cases.*—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Inspector-General of Registration may, by order in writing cancel the registration of any Society registered under this Act whose office has ceased to be in the State of Bihar by reason of the registration of another State or change of the office from the State of Bihar to another State or whose activities are subversive to the objects of Society :

Provided that the Inspector-General of Registration shall, before passing an order, make such inquiry as he considers necessary :

Provided further that no order of cancellation of registration of any Society on the ground of the activities of the Society being subversive to the objects of the Society shall be passed until the Society has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to it.

(2) An appeal against an order under sub-section (1) may be preferred in such manner, within such time and to such authority as may be prescribed and such authority shall consider and dispose of such appeals in the prescribed manner.

(3) The decision of the appellate authority under sub-section (2) shall be final."—*Vide* Bihar, Act II of 1960 and Bihar Act XII of 1963.

Uttar Pradesh.—After Section 22, the following section shall be added, namely :—

"23. *Audit.*—(1) Without prejudice to the provisions of sub-section (2) of Section 4 or of Section 22, where the Registrar is of opinion that it is any Society to furnish its account or a copy of a statement of receipts and expenditure for any particular year, duly audited by a Chartered Accountant:

Provided that the Registrar may, at the request of Society permit it to have such accounts and statement audited by any other person approved by him.

(2) If the Society fails to furnish the documents referred to in sub-section (1) within the period specified in the order or within such extended period as the Registrar may from time to time allow, the Registrar may cause the accounts of such Society audited for the said year and may recover the cost of such audit from that Society.

(2) उपधारा (1) के अधीन सोसाइटी के द्वारा आदेश की प्राप्ति पर अध्यक्ष, सचिव या इस सम्बन्ध में किसी प्राधिकृत व्यक्ति का ऐसी सूचना या दस्तावेज को प्रस्तुत करना कर्तव्य होगा.—देखें : उ० प्र० अधिनियम, 1975 का 52, धारा 11।

धारा 23

बिहार—धारा 22 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्—

"23. *कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण का निरस्तीकरण*—(1) इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुये, महानिरीक्षक निबन्धन, लिखित में आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी पंजीकृत किसी सोसाइटी, जिसके कार्यालय का अन्य राज्य के रजिस्ट्रीकरण या बिहार राज्य से कार्यालय का अन्य राज्य में परिवर्तन होने के कारण बिहार राज्य में होना समाप्त हो गया है या जिसके कार्य-कलाप सोसाइटी के उद्देश्यों के ध्वंसात्मक हों, के रजिस्ट्रीकरण को निरस्त कर सकता है :

परन्तु यह कि महानिरीक्षक निबन्धन ऐसा आदेश पारित करने से पहले ऐसी जाँच कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे :

परन्तु पुनः यह कि सोसाइटी के क्रिया-कलापों के सोसाइटी के उद्देश्यों के ध्वंसात्मक होने के आधार पर किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के निरस्तीकरण का कोई आदेश नहीं पारित किया जायेगा, जब तक इस सम्बन्ध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर सोसाइटी को न दे दिया गया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे ढंग से, ऐसे समय के भीतर एवं ऐसे प्राधिकारी को की जा सकेगी जैसे विहित किया जाय एवं ऐसा प्राधिकारी ऐसी अपीलों पर विहित ढंग से विचार करेगा एवं निस्तारित करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा.—देखें : बिहार अधिनियम, 1960 का 2 एवं बिहार अधिनियम, 1963 का 12।

उत्तर प्रदेश—धारा 22 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्—

"23. *अंकेक्षण*—(1) धारा 4 की उपधारा (2) या धारा 22 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ रजिस्ट्रार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह लिखित आदेश द्वारा किसी सोसाइटी के किसी विशेष वर्ष का अपने लेखा जोखा या आय-व्यय के विवरण की प्रतिलिपि जो किसी चार्टड एकाउण्टेंट द्वारा सम्यक रूप से अकेक्षित हो प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा :

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार सोसाइटी के निवेदन पर उसके द्वारा अनुमोदित किसी अन्य व्यक्ति से, इसे ऐसे लेखा-जोखा एवं विवरण को अंकेक्षण कराने के लिये अनुज्ञा दे सकेगा :

(2) यदि सोसाइटी उपधारा (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ायी गयी अवधि के भीतर जैसे रजिस्ट्रार समय-समय पर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करने में असमर्थ रहती है, रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के उस वर्ष का लेखा-जोखा का स्वयं अंकेक्षण करा सकता है एवं उस सोसाइटी से ऐसे अंकेक्षण की व्यय वसूल कर सकेगा।

Scanned with CamScanner

(3) If the Society neglects or refuses to make its accounts or other documents available for audit under sub-section (2) or, in the opinion of the Registrar, otherwise fails to provide requisite facilities to have the audit made with due expedition, the Registrar may proceed to take action under Section 24."—*Vide* U.P. Act LII of 1975, Section 12.

SECTION 24

Bihar.—After Section 23, the following section shall be inserted, namely :—

"24. *Power of the State Government to make rules.*—(1) The State Government, may, after previous publication, make rules not inconsistent with this Act for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the State Government may make rules :—

(a) prescribing the form of the Register of Societies and the mode in which entries relating to registration are to be made therein, and the mode in which such entries are to be amended or notes mode therein;

(b) regulating the filing of document received by the Inspector General of Registration;

(c) prescribing the authority before whom and the time within which an appeal shall be preferred under sub-section (2) of Section 23 and the manner in which such appeals shall be considered and disposed of;

(d) prescribe conditions for the inspection of original documents;

(e) regulating the grant of copies of documents; and

(f) providing for any other matter for which there is no provision or insufficient provision in this Act and for which provision is, in the opinion of State Government, necessary for giving effect to the purposes of this Act.

(3) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified from or be of no effect as the case may be; so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule."—*Vide* Bihar Act II of 1960 and Bihar Act XII of 1963.

(3) यदि सोसाइटी अपना लेखा-जोखा कराने या उपधारा (2) के अधीन अंकेक्षण के लिये उपलब्ध अन्य दस्तावेजों की उपेक्षा करता है या इन्कार करता है या रजिस्ट्रार की राय में, अन्यथा सम्यक् शीघ्रता के साथ अंकेक्षण कराने हेतु आवश्यक सुविधायें प्रदान करने में असमर्थ रहता है, रजिस्ट्रार धारा 24 के अधीन कार्यवाही कर सकेगा—देखें : उ० प्र० अधिनियम, 1975 का 52 धारा 12।

धारा 24

बिहार—धारा 23 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्—

"*24. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति*—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिये पूर्ववर्ती प्रकाशन के पश्चात् नियम, जो इस अधिनियम से असंगत न हो, बना सकेगी है।

(2) विशेष रूप में एवं पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार

(क) सोसाइटियों के रजिस्टर के प्ररूप एवं उस ढंग को विहित करते हुये जिसमें रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ उसमें की जानी हैं एवं उस ढंग को जिसमें ऐसी प्रविष्टियाँ संशोधित की जानी हैं या उसमें टिप्पणी किये जाने हैं;

(ख) महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा प्राप्त दस्तावेज के दाखिल किये जाने को विनियमित करके;

(ग) उस प्राधिकारी एवं उस समय को विहित करते हुये जिसके समक्ष एवं जिसके भीतर धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन अपील प्रस्तुत की जायेगी एवं वह ढंग जिसमें अपील पर विचार किया जायेगा एवं निस्तारण होगा;

(घ) मूल दस्तावेजों के निरीक्षण के लिये शर्तों को विहित करना;

(ङ) दस्तावेजों की प्रतिलिपियों की मन्जूरी को विनियमित करना एवं

(च) किसी अन्य विषय के लिये प्रावधान करते हुये जिसके लिये इस अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है या अपर्याप्त प्रावधान है और उसके लिये प्रावधान, राज्य सरकार की राय में, इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्रभाव देने के लिये आवश्यक है,

नियम निर्मित कर सकेगी।

(3) इस धारा के अधीन निर्मित प्रत्येक नियम, जैसे ही निर्मित किया जाता है उसके पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, चौदह दिन की पूर्ण अवधि के लिये, जो एक सत्र में या दो उत्तरवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकता है, रखा जायेगा और यदि उस सत्र जिसनें यह ऐसे रखा गया है, या तत्काल पश्चात्वर्ती सत्र की समाप्ति के पहले दोनों सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिये सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन सहमत हो जाते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिये, तत्पश्चात् नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या किसी प्रभाव का नहीं होगा, तथापि, यह कि कोई ऐसा उपान्तरण या शून्यकरण उस नियम के अधीन उसके पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी".—देखें : बिहार अधिनियम, 1960 का 2 एवं बिहार अधिनियम, 1963 का 12।

Scanned with CamScanner

Uttar Pradesh.—After Section 23 insert the following section, namely :—

"24. *Investigation of affairs of a Society.*—(1) Where an information received under Section 22 or otherwise, or in circumstances referred to in sub-section (3) of Section 23, the Registrar is of opinion—

that there is apprehension that the affairs of a Society registered under this Act are being so conducted as to defeat the objects of the Society, or

that the Society or its governing body by whatever name called, or any officer thereof in actual effective control of the Society is guilty of mismanaging its affairs or of any breach of fiduciary or other like obligations,

the Registrar, may, either himself or by any person appointed by him in that behalf, inspect or investigate into the affairs of the Society or inspect any institution managed by the Society.

(2) It shall be the duty of every officer of the Society when so required by the Registrar or other person appointed under sub-section (1) to produce any books of account and other records of or relating to the Society which are in his custody and to give him all assistance in connection with such inspection or investigation.

(3) The Registrar or other person appointed under sub-section (1) may call upon and examine on oath any officer, member or employee of the Society in relation to the affairs of the Society, and

It shall be the duty of every officer, member or employee when called upon, to appear before him for such examination.

(3-A). The Registrar or other person appointed under sub-section (1) may, if in his opinion it is necessary for the purpose of inspection or investigation seize any or all of the records including account-books of the Society :

Provided that any person from whose custody such records are seized be entitled to make copies thereof or to take extracts therefrom in the presence of the person having the custody of such records.

(4) On the conclusion of the inspection or investigation, as the case may be, the person, if any, appointed by the Registrar to inspect or investigate shall make a report to the Registrar on the result of the inspection or investigation.

(5) The Registrar may, after such inspection or investigation, give such directions to the Society or to its governing body or any officer thereof, as he may think fit for the removal of any defects or irregularities within such time as may be specified, and in the event of default in taking action according to such direction, the Registrar may proceed to take action under Section 12-D or Section 13-B, as the case

उत्तर प्रदेश—धारा 23 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित, अर्थात्—

"24. *सोसाइटी के कार्य-कलापों का अन्वेषण*—(1) जहाँ कोई सूचना धारा 22 के अधीन या अन्यथा या धारा 23 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में प्राप्त की जाती है, रजिस्ट्रार की यह राय है—

कि यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत सोसाइटी के कार्य-कलाप ऐसे संचालित किये जा रहे हैं ताकि सोसाइटी का उद्देश्य विफल हो जाय, अथवा :

कि सोसाइटी या इसका शासी निकाय, चाहे जो भी नाम हो, या उसका कोई अधिकारी सोसाइटी के वास्तविक नियन्त्रण में इसके कार्य-कलापों के कुप्रबन्धन या किसी वैश्वासिक या अन्य समान दायित्व के भंग का दोषी है,

रजिस्ट्रार या तो स्वयं या तो उस निमित्त में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, सोसाइटी के कार्यकलापों का निरीक्षण या अन्वेषण या सोसाइटी द्वारा प्रबन्धित किसी संस्थान का निरीक्षण कर सकेगा।

(2) सोसाइटी के प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि जब रजिस्ट्रार द्वारा या उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति द्वारा अपेक्षित लेखा-जोखा की बहियों या सोसाइटी या उससे सम्बन्धित अन्य अभिलेख, जो उसकी अभिरक्षा में हो, को प्रस्तुत करेगा और ऐसे निरीक्षण या अन्वेषण के सम्बन्ध में सभी सहायता देना।

(3) रजिस्ट्रार या उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति सोसाइटी के किसी अधिकारी, सदस्य या कर्मचारी को सोसाइटी के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में बुला सकता है एवं शपथ पर परीक्षा कर सकेगा, एवं

प्रत्येक अधिकारी, सदस्य या कर्मचारी का, जब बुलाया जाय, तब ऐसे परीक्षण के लिये उनके समक्ष उपस्थित होने का कर्तव्य होगा।

(3-क) रजिस्ट्रार या उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति, यदि उसकी राय में, निरीक्षण या अन्वेषण के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक है, सोसाइटी के कोई या सभी अभिलेख जिसमें लेखा जोखा की बहियाँ शामिल हैं, जब्त कर सकता है :

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से ऐसे अभिलेख जब्त किये गये हैं, ऐसे अभिलेखों की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में उसकी प्रतिलिपियाँ लेने या उससे सार लेने का हकदार है।

(4) यथास्थिति निरीक्षण या अन्वेषण की समाप्ति पर, रजिस्ट्रार द्वारा निरीक्षण या अन्वेषण करने के लिये नियुक्त किया गया व्यक्ति, यदि कोई हो, निरीक्षण या अन्वेषण के परिणाम पर रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(5) रजिस्ट्रार ऐसे निरीक्षण या अन्वेषण के पश्चात् सोसाइटी को या इसके शासी निकाय को या इसके किसी अधिकारी को निर्देश दे सकेगा, जैसे यह किसी त्रुटि या अनियमितताओं को हटाने के लिये उपयुक्त समझे, और ऐसे निर्देश के अनुसार कार्यवाही करने में व्यतिक्रम की स्थिति में, रजिस्ट्रार यथास्थिति, धारा 12-घ या धारा 13-ख के अधीन कार्यवाही करने के लिये अग्रसर हो सकेगा''.—देखें : उ० प्र० अधिनियम,

Scanned with CamScanner

may be."—*Vide* U.P. Act 52 of 1975, Section 12 and U.P. Act 11 of 1984, Section 8 (*w.e.f.* 30.4.1984).

SECTION 25

Uttar Pradesh.—After Section 24 following Section 25 shall be inserted, namely :—

"25. *Disputes regarding election of office-bearers.*—(1) The prescribed authority may, on a reference made to it by the Registrar or by at least one-fourth of the members of a Society registered in Uttar Pradesh, hear and decide in a summary manner any doubt or dispute in respect of the election or continuance in office of an office-bearer of such Society, and may pass such orders in respect thereof as it deems fit :

Provided that the election of an office-bearer shall be set aside where the prescribed authority is satisfied :—

(a) that any corrupt practice has been committed by such office-bearer; or

(b) that the nomination of any candidate has been improperly rejected; or

(c) that the result of the election in so far as it concerns such office-bearer has been materially affected by the improper acceptance of any nomination, or by the improper reception, refusal or rejection of any vote or the reception of any vote which is void, or by any non-compliance with the provisions of any rules of the Society.

Explanation I.—A person shall be deemed to have committed a corrupt practice who, directly or indirectly by himself or any other person :

(i) induces, or attempts to induce, by fraud, intentional misrepresentation, coercion or threat of injury, any elector to give or to refrain from giving a vote in favour of any candidate, or any person to stand or not to stand as, or tc withdraw or not to withdraw from being, a candidate at the election;

(ii) with a view to inducing any elector to give or to refrain from giving a vote in favour of any candidate, or to inducing any person to stand or not to stand as, or to withdraw or not to withdraw from being a candidate at the election offers or gives any money, or valuable consideration, or any place of employments, or holds out any promise of individual advantage of profit to any person;

(iii) abets (within the meaning of the Indian Penal Code) the doing of any of the act specified in Clauses *(i)* and *(ii)*;

1975 का 52, धारा 52 एवं उ० प्र० अधिनियम, 1984 का 11, धारा 8 (30.4.1984 से प्रभावी)।

धारा 25

उत्तर प्रदेश—धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 25 अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्—

"25. *पद-धारकों के चुनाव से सम्बन्धित विवाद*—(1) विहित प्राधिकारी रजिस्ट्रार द्वारा या उत्तर प्रदेश में पंजीकृत सोसाइटी के कम से कम एक चौथाई सदस्यों द्वारा विहित प्राधिकारी को किये गये निर्देश पर विहित प्राधिकारी ऐसी सोसाइटी के पद धारकों के चुनाव या पद पर बने रहने के सम्बन्ध में किसी सन्देह या विवाद को सुन सकेगा एवं संक्षिप्त ढंग से निर्णीत कर सकेगा तथा उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह उपयुक्त समझे :

परन्तु यह कि पद धारक का चुनाव अपास्त कर दिया जायेगा, जहाँ विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है :

(क) कि ऐसे पद धारक द्वारा कोई भ्रष्ट व्यवहार कारित किया गया है; या

(ख) कि किसी उम्मीदवार का नामांकन अनुचित ढंग से अस्वीकार कर दिया गया है;

(ग) कि जहाँ तक चुनाव के परिणाम का सम्बन्ध है ऐसा पदधारक किसी नामांकन की अनुचित स्वीकृति के द्वारा अनुचित प्राप्ति, किसी शून्य के निरस्तीकरण/स्वीकृति या अस्वीकृति या किसी वोट, जो शून्य है, की प्राप्ति द्वारा या सोसाइटी के किसी नियम के प्रावधानों के किसी अपालन के द्वारा सारतः प्रभावित किया गया है।

स्पष्टीकरण 1.—एक व्यक्ति भ्रष्ट आचरण कारित किये जाने के लिये माना जायेगा, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वयं द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा :

(i) कपट, साशय मिथ्या दुर्व्यपदेशन, प्रपीड़न या क्षति की धमकी द्वारा किसी उम्मीदवार के पक्ष में किसी निर्वाचक को वोट देने या वोट देने से विरत रखने या चुनाव में उम्मीदवार के रूप में किसी व्यक्ति को खड़ा करने या न खड़ा करने या वापस लेने या वापस न लेने के लिये प्रेरित करता है या प्रेरित करने का प्रयास करता है;

(ii) किसी निर्वाचक को किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने या मत देने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करने या किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या उम्मीदवारी से नाम वापस लेने या नाम वापस न लेने के लिए उत्प्रेरित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति को कोई धन या मूल्यवान प्रतिफल या किसी स्थान या नियोजन का प्रस्ताव करता है या देता है या व्यक्तिगत फायदा या लाभ का कोई वचन देता है।

(iii) खण्ड (i) एवं (ii) में विनिर्दिष्ट किसी कार्य को करने का दुष्प्रेरण (भारतीय दण्ड संहिता के अर्थन्तर्गत) करता है;

Scanned with CamScanner

ces, or attempts to induce, a candidate or elector to believe he, or any person in whom he is interested, will become or be rendered an object of divine displeasure or spiritual ure;

asses on grounds of caste, community, sect or religion;

nits such other practice as the State Government may by prescribe to be a corrupt practice.

Explanation II.—A promise of individual advantage or profit to a person includes a promise for the benefit of the person himself, or of any one in which he is interested.

Explanation III.—The State Government may prescribe the procedure for hearing any decision of doubts or disputes in respect of such elections and make provision in respect of any other matter relating to such elections for which insufficient provision exists in this Act or in the rules of the Society.

(2) Where by an order made under sub-section (1), an election is set aside or an office-bearer is held no longer entitled to continue in office, or where the Registrar is satisfied that any election of office-bearers of a Society has not been held within the time specified in the rules of that Society he may call a meeting of the general body of such Society for electing such office-bearer or office-bearers, and such meeting shall be presided over and be conducted by the Registrar or by any officer authorised by him in this behalf, and the provisions in the rules of the Society relating to meetings and elections shall apply to such meeting and election with necessary modifications.

(3) Where a meeting is called by the Registrar under sub-section (2), no other meeting shall be called for the purpose of election by any other authority or by any person claiming to be an office-bearer of the Society.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression "prescribed authority" means an officer or Court authorised in this behalf by the State Government by notification published in the official Gazette.—*Vide* U.P. Act 52 of 1975, Section 12 and U.P. Act 13 of 1978, Section 4 (*w.e.f.* 27.2.1978).

SECTIONS 26 TO 33

Uttar Pradesh.—In its application to the State of Uttar Pradesh, after Section 25, the following Sections 26 to 33 shall be inserted, namely :

"26. *Terms of gift to be observed.*—Where a Society accepts a gift or donation of money or property of any other kind from any person for a specific purpose, it shall not use the money or other property gifted or donated or any part thereof for any other purpose without the written consent of the Registrar who shall refuse such consent except

(iv) किसी उम्मीदवार या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिये प्रेरित करना या प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई व्यक्ति, जिसमें वह हितबद्ध है दैवीय प्रभाव या आध्यात्मिक परिनिन्दा का पात्र होगा या बना दिया जायेगा;

(v) जाति, समुदाय समप्रदाय या धर्म के आधार पर प्रचार करता है;

(vi) ऐसा अन्य व्यवहार कारित करता है, जैसे राज्य सरकार नियम के द्वारा भ्रष्ट व्यवहार होने के लिये विहित करे।

स्पष्टीकरण 2.—एक व्यक्ति को वैयक्तिक लाभ या फायदे में स्वयं उस व्यक्ति के या किसी व्यक्ति के जिसमें वह हितबद्ध है, के फायदे के लिये प्रतिज्ञा सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण 3.—राज्य सरकार ऐसे चुनाव के सम्बन्ध में किसी निर्णय के सन्देहों या विवादों की सुनवाई के लिये प्रक्रिया विहित कर सकती है एवं ऐसे चुनावों से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में, जिसके लिये इस अधिनियम में या सोसाइटी के नियमों में अपर्याप्त प्रावधान विद्यमान हैं, प्रावधान निर्मित कर सकती है।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश के द्वारा, कोई चुनाव अपास्त कर दिया जाता है या कोई पद धारक पर पर बने न रहने का हकदार अभिनिर्धारित किया जाता है या जहाँ रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि सोसाइटी के पद धारकों का कोई चुनाव उस सोसाइटी के नियमों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं कराया गया है वह ऐसे पद धारक पद धारकों के चुनाव के लिये ऐसी सोसाइटी के शासी निकाय की बैठक बुला सकता है और ऐसी बैठक की अध्यक्षता और उसका संचालन रजिस्ट्रार द्वारा या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा किया जायेगा और बैठकों एवं चुनावों से सम्बन्धित सोसाइटी के नियमों में प्रावधान आवश्यक उपान्तरणों के साथ ऐसी बैठक और चुनाव को लागू होंगे।

(3) जहाँ उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा बैठक बुलायी जाती है, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा या सोसाइटी का पद धारक होने का दावा करने वाले पद धारक द्वारा चुनाव के प्रयोजन के लिये कोई बैठक नहीं बुलाई जायेगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये पद "विहित प्राधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस निमित्त में प्राधिकृत अधिकारी या न्यायालय अभिप्रेत है.—देखें : उ० प्र० अधिनियम, 1975 का 52, धारा 12 एवं उ० प्र० अधिनियम, 1978 का 13, धारा 4 (27.2.1978 से प्रभावी)।

धारा 26 से 33

उत्तर प्रदेश—उत्तर प्रदेश राज्य को अपने अनुप्रयोग में, धारा 25 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 26 से 33 अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्—

"26. *दान के निबन्धनों का अनुपालन किया जाना*—जहाँ एक सोसाइटी किसी व्यक्ति से विशिष्ट प्रयोजन के लिये दान या धन का अनुदान या किसी प्रकार की सम्पत्ति स्वीकार करता है, वह दान दिये गये या अनुदान किये गये धन या अन्य सम्पत्ति या उसके किसी भाग को बिना रजिस्ट्रार की लिखित सम्मति के, किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं प्रयोग कर सकता है जो ऐसी सम्मति से इन्कार करेगा सिवाय जब वह सन्तुष्ट

when he is satisfied that the purpose for which the gift was made in incapable for execution by the Society."

"27. *Penalties.*—Any person who—

[1][(a) fails to furnish list of managing body or other information, required to be furnished under Section 4 or 4-A or willfully makes or causes to be made a false entry in, or any omission from, the list or any statement or copy of rules or of alteration in rules or other information sent to the Registrar under Section 4 or Section 4-A.]

(b) willfully fails to furnish any account or statement referred to in sub-section (1) of Section 23 or furnishes, in compliance with the said sub-section, particulars which are false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true;

(c) neglects or refuses to make its accounts or other documents available for audit as required by [2][sub-section (2)] of Section 23;

(d) willfully fails to produce any books of accounts or other records as required by sub-section (2) of Section 24;

(e) willfully fails to appear before the Registrar or other person appointed by him or otherwise contravenes the provisions of sub-section (3) of Section 24;

shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees."

"28. *Procedure.*—No Court inferior to that of a Magistrate of the First Class shall try an offence punishable under this Act nor shall cognizance of any such offence be taken except on a complaint made by the Registrar or any other person authorised in writing by him by general or special order in that behalf."

"29. *Compounding of offences.*—(1) The Registrar may accept from any person against whom a reasonable suspicion exists that he has committed any offence punishable under Section 27 or against whom a prosecution under that section has been instituted, a sum of money by way of composition fee for the offence which such person is suspected or accused to have committed."

(2) On the payment of such composition fee the suspected person if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him and if prosecution of such person had been instituted, the composition shall have the effect of his acquittal."

1 *Subs.* by U.P. Act 11 of 1984, Section 9.
2. *Subs.* by Notification No. 614/XVII-V-I-82-74, dated 8.3.1979.

हो जाता है कि प्रयोजन जिसके लिये दान दिया गया था, सोसाइटी द्वारा निष्पादन के अयोग्य है।''

''27. *शास्तियाँ*—कोई व्यक्ति जो—

[1][(क) धारा 4 या 4-क द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित, प्रबन्ध निकाय की सूची का अन्य सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है या धारा 4 या 4-क के अधीन रजिस्ट्रार को भेजी गयी सूची का कोई विवरण या नियमों की प्रतिलिपि या नियमों में परिवर्तन या अन्य सूचना में जानबूझकर मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता है या कराता है।

(ख) जानबूझकर धारा 23 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई लेखा-जोखा या विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है या कथित उपधारा के अनुपालन को विशिष्टियाँ प्रस्तुत करता है जो मिथ्या है और जिसका मिथ्या होना या तो वह जानता है या तो विश्वास करता है या सत्य होने का विश्वास नहीं करता है।

(ग) धारा 23 का [2][उपधारा (2)] द्वारा यथा अपेक्षित अंकेक्षण के लिये अपना लेखा-जोखा या अन्य दस्तावेज बनाने की अपेक्षा या इन्कार करता है;

(घ) धारा 24 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित लेखा-जोखा की कोई अन्य बहियाँ या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में जानबूझकर असफल रहता है;

(ङ) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने में जानबूझकर असफल रहता है या अन्यथा धारा 24 की उपधारा (3) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है;

ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा।''

''28. *प्रक्रिया*—प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से निम्न कोई न्यायालय इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध का विचारण नहीं करेगा, रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा लिखित में, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये परिवाद के सिवाय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान् नहीं लेगा।''

''29. *अपराधों का परिशमन*—(1) रजिस्ट्रार किसी व्यक्ति से जिसके विरुद्ध युक्तियुक्त सन्देह विद्यमान है कि उसने धारा 27 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध कारित किया है या जिसके विरुद्ध उस धारा के अधीन अभियोजन दाखिल किया गया हो, उस अपराध के लिये जिसका ऐसा व्यक्ति सन्देहास्पद है या कारित किये जाने का अभियुक्त है, प्रशमन शुल्क के ढंग से रकम स्वीकार कर सकता है।

(2) ऐसे प्रशमन शुल्क के सन्दाय पर, सन्देहास्पद व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में हो, उन्मुक्त कर दिया जायेगा और उसके विरुद्ध कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जायेगी और यदि ऐसे व्यक्ति का अभियोजन दाखिल किया गया है प्रशमन उसकी दोषमुक्ति के रूप में प्रभावी होगा।''

1. उ० प्र० अधिनियम, 1984 का 11 धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना संख्या 614/17-7-1-82-74-दिनांक 8.3.1979 द्वारा प्रतिस्थापित।

Scanned with CamScanner

"30. *Manner of Payment of fees.*—Fees payable under the provision of this Act shall be paid in such manner as may be prescribed by rules."

"31. *Indemnity.*—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie in any Court against the State Government, the Registrar or against any person appointed for inspection or investigation under Section 24, for anything in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder."

"32. *Mode of Service of notice, etc., by Registrar.*—(1) Any notice, order or requisition meant for a Society or for the governing body thereof to be issued by the Registrar may be served on the Secretary of the Society, and service on the Secretary be as effectual as if the same had been served on every member of the Society or, as the case may be, on every member of the governing body thereof, unless the Registrar otherwise directs.

(2) The sending of such notice, order or requisition to the Secretary of the Society by registered post at its registered office shall amount to sufficient service thereof on the Society."

"33. *Power to make rules.*—(1) The State Government, may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session, for a total period of thirty days extending in its one session or more than one successive sessions and shall unless some later date is appointed take effect from the date of their publication in the Official Gazette, subject to such modifications or annuiments as the two Houses of the Legislature may, during the said period agree to make, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to validity of anything previously done thereunder."—*Vide* U.P. Act 11 of 1975, Section 12 and U.P. Act 13 of 1978 (*w.e.f.* 27.2.1978).

"*30. शुल्कों के सन्दाय की रीति*—इस अधिनियम के प्रावधान के अधीन सन्देय शुल्क ऐसे ढंग से सन्दत्त किया जायेगा जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।"

"*31. उन्मुक्ति*—इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के अधीन सद्भाव में किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार, रजिस्ट्रार के विरुद्ध या धारा 24 के अधीन निरीक्षण या अन्वेषण के लिये नियुक्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी।"

"*32. रजिस्ट्रार द्वारा सूचना की तामीली का ढंग*—(1) किसी सोसाइटी या उसके शासी निकाय के लिये रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये जाने के लिये अभिप्रेत कोई सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा सोसाइटी के सचिव पर तामील की जायेगी और सचिव पर तामीली ऐसे प्रभावी होगी जैसे कि वह यथास्थिति सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य पर या उसके शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य पर तामील की गयी हो, जब तक रजिस्ट्रार अन्यथा निर्देशित न करे।

(2) सोसाइटी के सचिव को पंजीकृत डाक द्वारा उसके पंजीकृत कार्यालय पर भेजी गयी ऐसी सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा सोसाइटी पर उसकी पर्याप्त तामीली मानी जायेगी।"

"*33. नियम बनाने की शक्ति*—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, उसके बनाये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब यह सत्र में हो, चौदह दिन की कुल अवधि के लिये, जो एक सत्र में या एक से अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में विस्तृत हो सकती है, रखी जायेगी और जब तक कोई पश्चात्वर्ती दिनांक नियत न की जाय, शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की दिनांक से, ऐसे उपान्तरणों एवं शून्यीकरण के अधीन जैसे विधान-मण्डल के दोनों सदन कथित अवधि के दौरान निमित करने के लिये सहमत हों प्रभावी होगी तथापि, यह कि कोई ऐसा उपान्तरण या शून्यीकरण इसके अधीन पूर्वकृत किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रभावी होगा".—देखें : उ० प्र० अधिनियम, 1975 का 11, धारा 12 एवं उ० प्र० अधिनियम, 1978 का 13 धारा (27.2.1978 से प्रभावी)।